**ध्येय**

**इमेज इंटेन्सीफायरों तथा अन्य चुने हुए क्षेत्रों में ग्राहक केन्द्रित एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचलित कंपनी बनना**

---

**बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड का निदेशक मंडल 2 अगस्त, 2016 को**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | श्री सुनील कुमार शर्मा | अध्यक्ष | सीएमडी, बीईएल |
| 2) | श्री एम एल षणमुख | निदेशक | निदेशक (मा.सं.), बीईएल |
| 3) | डॉ अजित टी कलघट्गी | निदेशक | निदेशक (अनु. व वि.), बीईएल |
| 4) | श्री प्रभात आर आचार्या | निदेशक | निदेशक (वित्त), बीईएल |

---

**प्रधान कार्यपालक**

1. श्री एस एस कुलकर्णी — मुख्य कार्यपालक अधिकारी

---

**कंपनी सचिव**

1. सुश्री प्रिया अय्यर — कंपनी सचिव और सीएफओ

---

| | बैंकर | लेखा परीक्षक |
|---|---|---|
| 1. | भारतीय स्टेट बैंक | मे. एम.एस.डी.एन. एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, पुणे |
| 2. | एक्सिस बैंक लि. | |

---

**विषय सूची** **पृष्ठ सं.**


1. निदेशक मंडल, प्रधान कार्यपालक, बैंकर और लेखा परीक्षक 01
2. विगत वित्तीय आंकड़े 02
3. अध्यक्ष का पत्र 03
4. मंडल का प्रतिवेदन 05
   - क) प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (संलग्नक 1) 14
   - ख) कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट (संलग्नक 2) 19
   - ग) सीएसआर कार्यों पर रिपोर्ट (संलग्नक 3) 28
   - घ) निर्वहनीयता रिपोर्ट (संलग्नक 4) 29
   - ङ) वार्षिक विवरणी का सार – फार्म सं. एमजीटी-9 (संलग्नक 5) 30
   - च) ऊर्जा संरक्षण आदि पर रिपोर्ट (संलग्नक 6) 36
5. वित्तीय विवरण
   - क) उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ 38
   - ख) तुलन-पत्र 44
   - ग) लाभ व हानि का विवरण 45
   - घ) लेखों की टिप्पणियाँ (टिप्पणी सं 1 से टिप्पणी सं. 31) 46
   - ङ) नकदी प्राप्ति विवरण 70
6. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 72
7. सी एंड एजी की टिप्पणियाँ 82

दस वर्षों के वित्तीय आंकड़े

(₹ मिलियन में)

| विवरण | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल आय | 624 | 451 | 322 | 610 | 534 | 702 | 1578 | 1843 | 1242 | 1087 |
| कर पश्चात लाभ | 82 | 14 | (36) | 23 | 45 | 82 | 58 | 50 | 37 | 24 |
| ईक्विटी पूँजी | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 378 |
| प्रारक्षण एवं अधिशेष | 126 | 142 | 106 | 129 | 173 | 255 | 312 | 362 | 398 | 676 |
| सकल ब्लॉक | **485** | **489** | **493** | **501** | **503** | **507** | **529** | **694** | **1407** | **1393** |
| कार्यशील पूँजी | 182 | 222 | 205 | 245 | 299 | 881 | 272 | (185) | (322) | (86) |
| नियोजित पूँजी | 355 | 357 | 304 | 325 | 366 | 942 | 347 | 37 | 573 | 745 |
| निवल मूल्य | **310** | **325** | **289** | **312** | **356** | **438** | **495** | **545** | **581** | **1055** |

**अध्यक्ष का पत्र**

*प्रिय शेयरधारक,*

मुझे आपसे प्रत्यक्ष रूप से सम्प्रेषण करने और पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन की प्रमुख बातें तथा कंपनी की भावी दृष्टि प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता होती है ।

**वर्ष 2015-16 की झलकियाँ**

आपकी कंपनी ने वर्ष 2014-15 में ₹10,264.93 लाख की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹10,663.55 लाख का विक्रयावर्त हासिल किया और 3.88% की सीमांतक बढ़ोत्तरी दर्ज की है ।

- 2015-16 के दौरान, कर पश्चात् लाभ (पीएटी) 33.79%, तक घटते हुए वर्ष 2014-15 के ₹ 366.69 लाख से कम होकर 2015-16 में ₹ 242.77 लाख रु. हुआ । कम लाभ का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा की हानि है जिसे बढ़े हुए अंशदान से आंशिक रूप से समंजित किया गया। कंपनी का निवल मूल्य यथा 31.03.2016 को बढ़कर ₹ 10545.42 लाख हुआ और 81.37%.की वृद्धि दर्ज की जो मुख्य रूप से ₹ 4488.18 लाख (प्रीमियम मूल्य सहित) के अतिरिक्त ईक्विटी शेयरों को जारी करने के कारण था ।

- **अन्य उपलब्धियाँ -**

**एमओयू रेटिंग**

आपकी कंपनी को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अनुमोदन से प्रत्येक वर्ष कार्य-निष्पादन परिमापियाँ और लक्ष्य तय करने के लिए अपनी धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ किए जाने वाले एमओयू के संबंध में, वर्ष 2014-156 के लिए "उत्तम" की रेटिंग प्रदान की गई है ।

**क्रेडिट रेटिंग**

वर्ष 2015-16 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) ₹ 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग ।

(ii) ₹ 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग ।

[आईसीआरए]एए की दीर्घकालीन रेटिंग स्थिर दृष्टि के लिए है । ये रेटिंग दीर्घकाल और अल्पकाल में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता को दर्शाते हैं ।

**अनुसंधान एवं विकास**

कंपनी का अनु. व वि. विभाग उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा विनिर्माणी एवं जाँच उपस्करों के कोटि उन्नयन की ओर विकास कार्य आगे बढ़ाते आ रहा है। उपर्युक्त अनु. व वि. प्रयासों के कारण कंपनी ने विनिर्माणी अवसंरचना और प्रक्रियाओं को अद्यतन बनाया है ताकि उसे बेहतर उत्पाद गुणता और अधिक उत्पादकता और प्रक्रियाओं में निरंतरता प्राप्त हो सके। साथ ही, इन अनु. व वि. प्रयासों के कारण विद्यमान पूंजी उपस्करों का जीवनकाल भी बढ़ा है।

**भावी दृष्टि**

- एक्सआर-5 परियोजना का कार्यान्वयन प्रगति में है।
- माइक्रो चैनल प्लट (एमसीपी) और अल्काली डिस्पेंसरों के समग्र कारोबार और आवश्यकताओं पर विचार करते हुए इनका निर्माण करने की टीओटी के अधिग्रहण की योजना की समीक्षा की जा रही है।

- **वर्ष 2016-17 में कार्य-निष्पादन**

यथा 30.06.2016 को आपकी कंपनी की आदेश बही की स्थिति ₹ 2799 लाख की है और उसे वर्ष 2016-17 में लगभग ₹ 11500 लाख का विक्रय हासिल करने की उम्मीद है ।

**अभिशासन एवं निर्वहनीयता**

आपकी कंपनी कार्पोरेट अभिशासन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का पालन करने का हरसंभव प्रयास करती है । सीपीएसई के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन के निर्देशों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट निदेशकों के प्रतिवेदन का भाग बनती है ।

**आभार**

मैं समर्थन एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अपने निदेशक मंडल का आभारी हूँ । मैं अपने शेयरधारकों, अपने ग्राहकों तथा अपने कारोबारी सहयोगियों को उनके द्वारा दिए गए समर्थन के लिए अत्यधिक सराहना करता हूँ । मैं बेलॉप के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनका समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण ही कंपनी प्रगति के पथ पर है ।

शुभकामनाओं सहित,

**आपका,**
**-हस्त.-**
**(सुनील कुमार शर्मा)**
**अध्यक्ष**

**स्थान - बेंगलूर**
**दिनांक – 26 अगस्त, 2016**

## मंडल का प्रतिवेदन

**सदस्यों के लिए,**

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपके समक्ष कंपनी की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए खुशी हो रही है जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों और इस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित खातों के साथ-साथ इस अवधि के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय मैट्रिक्स में कंपनी के कार्य-निष्पादन को रेखांकित किया गया है।

### 1 वित्तीय झलकियाँ

कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 10,663.55 लाख का विक्रयावर्त (सकल) हासिल किया और ₹ 242.77 लाख का कर पश्चात् लाभ अर्जित किया ।

कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है –

₹ लाख में

| विवरण | 2015-2016 | 2014-2015 |
|---|---|---|
| कुल आय | 10872.45 | 12415.30 |
| मूल्यह्रास, वित्त लागत और कर से पहले लाभ | 3465.15 | 1539.00 |
| वित्त लागतें | 399.01 | 121.75 |
| मूल्यह्रास | 2610.90 | 875.53 |
| कर पूर्व लाभ | 455.24 | 541.72 |
| कराधान के लिए प्रावधान | 212.47 | 175.03 |
| वर्ष का लाभ | 242.77 | 366.69 |

### 2 लाभांश

एक्सआर-5 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों की आवश्यकता तथा कार्यशील पूँजीगत निधियों की वर्तमान कमी जिसके लिए बेलॉप को बैंकों से उधार का सहारा लेना पड़ रहा है, को ध्यान में रखते हुए निदेशक वर्ष 2015-16 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की ।

### 3 आदेश बही की स्थिति

यथा 01.04.2016 को कंपनी की आदेश की स्थिति यथा 01.04.2015 को ₹ 4,227.63 लाख की तुलना में ₹ 2599.63 लाख थी । वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 72 करोड़ के आदेश प्राप्त किए।

## 4 भावी दृष्टि

एक्सआर-5 परियोजना का कार्यान्वयन प्रगति में है। माइक्रो चैनल प्लट (एमसीपी) और अल्काली डिस्पेंसरों के समग्र कारोबार और आवश्यकताओं पर विचार करते हुए इनका निर्माण करने की टीओटी के अधिग्रहण की योजना की समीक्षा की जा रही है।

## 5 वित्त

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, आपकी कंपनी ने वृद्धिशील कार्यशील पूँजी तथा अवसंरचना के कोटि उन्नयन तथा पूँजीगत उपस्करों पर अतिरिक्त निवेश की ओर निधि संबंधी आवश्यकताएँ मुख्य रूप से आंतरिक संसाधनों से और शेष अपने संघीय बैंकों से कार्यशील पूँजी का उधार लेते हुए पूरी की । नकदी प्राप्तियों की गहन निगरानी तथा प्रभावी नकद प्रबंधन के माध्यम से उधार को कम किया गया । बीईएल भी ईक्विटी लाते हुए और ऋण द्वारा एक्सआर-5 परियोजना की लागत का वित्त-पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

## 6 क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2015-16 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) ₹ 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग ।

(ii) ₹ 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग ।

[आईसीआरए]एए की दीर्घकालीन रेटिंग स्थिर दृष्टि के लिए है । ये रेटिंग दीर्घकाल और अल्पकाल में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता को दर्शाते हैं । दोनों ही रेटिंग 6 नवंबर 2016 तक वैध हैं । इन रेटिंग से कंपनी को संघीय बैंकों से प्राप्त की जा रही विभिन्न कार्यशील पूँजी सुविधाओं को बेहतर शर्तों में प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

## 7 अनुसंधान एवं विकास (अनु. व वि.)

कंपनी का डी एंड ई विभाग उत्पाद, प्रक्रिया तथा निर्माणी एवं जाँच उपस्करों के कोटि उन्नयन की ओर अनेक विकास कार्य की पहल कर रहा है ।

वर्ष के दौरान, अनु. व वि. टीम ने नीचे रेखांकित विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप भी किए –

- एनोड स्क्रीन की उच्च वैक्यूम इलेक्ट्रॉन डिगैसिंग के लिए स्क्रीन स्क्रब्बर का स्वचालन। इसका कोटि उन्नयन करने से बेहतर प्रक्रिया निरंतरता, प्रक्रिया डेटा की प्राप्ति और विनिर्देशों तथा पूँजी परिसंपत्ति के जीवनकाल की बढ़ोत्तरी प्राप्त हुए हैं।

- आई.आई. ट्यूबों के लिए डिज़िटल पेपरलेस फ़ोटोकैथोड प्रक्रिया की निगरानी और रिकार्डिंग प्रणाली का संस्थागत फेब्रिकेशन दिनांक 30.01.16 को पूरा किया गया।

- आई.आई.ट्यूबों का निर्माण करने के लिए एक प्रक्रमण स्टेशन के कैथोड प्रक्रम क्षेत्र में परा उच्च वैक्यूम इलेक्ट्रॉन डिगैसिंग (स्क्रब्बिंग) प्रक्रिया का स्वचालन कार्य दिनांक 25.2.2016 तक पूरा किया गया।

उपर्युक्त अनु. व वि. प्रयासों के कारण कंपनी ने विनिर्माणी अवसंरचना और प्रक्रियाओं को अद्यतन बनाया है ताकि उसे बेहतर उत्पाद गुणता और अधिक उत्पादकता और प्रक्रियाओं में निरंतरता प्राप्त हो सके। साथ ही, इन अनु. व वि. प्रयासों के कारण विद्यमान पूंजी उपस्करों का जीवनकाल भी बढ़ा है।

अनु. व वि. टीम भविष्य में निम्नलिखित कार्यों की योजना बना रहा है –

- इमेज गुणवत्ता परीक्षण तथा मॉड्यूल लब्धि जाँच का स्वचालन और एकीकरण। इस परियोजना से डेटा लॉग्गिंक की सुविधा के साथ स्वचालित मापन करना संभव होगा। इस योजना से इमेज गुणवत्ता परीक्षण के दौरान मॉड्यूल की विफलता भी घटने की अपेक्षा है।
- एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूबों के लिए संस्थापित कैप्सूल बनाने की प्रक्रिया को संगत बनाने के लिए शक्ति आपूर्ति यूनिट (पीएसयू) में डिज़ाइन संबंधी सुधार ।
- पीएसयू की प्रथम काल पास (एफटीपी) लब्धि बढ़ाने के लिए शक्ति आपूर्ति यूनिट (पीएसयू) में डिज़ाइन संबंधी सुधार ।

## 8 ग्राहक तुष्टिकरण

आई.आई. ट्यूबों की हैंडलिंग पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, ग्राहकों पर ध्यान केन्द्रित करने की इसकी पहल के भाग के रूप में, भारतीय थलसेना में अनुरक्षण तकनीशियनों के लिए आई.आई. ट्यूबों पर एक कार्यशाला चलाई गई|

## 9 सरकार के साथ एमओयू

बेलॉप अपनी धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करती है और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अनुमोदन से प्रत्येक वर्ष की कार्य-निष्पादन परिमापियाँ और लक्ष्य तय किए जाते हैं। आपके निदेशकों को यह सूचित करने हुए प्रसन्नता होती है कि वर्ष (2014-15) के लिए एमओयू के संबंध में कंपनी को 'उत्तम' रेटिंग प्रदान की गई है । वर्ष 2015-16 की एमओयू रेटिंग की समीक्षा सरकार द्वारा की जा रही है ।

## 10 मानव संसाधन

31 मार्च 2015 को 133 कार्मिकों के मुकाबले यथा 31 मार्च 2016 को आपकी कंपनी में 129 कार्मिक नियोजित हैं। इनमें से 32 कार्यपालक और 6 महिला कर्मचारी हैं। वर्ष के दौरान किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई और चार कर्मचारियों ने सेवात्याग किया।

## 11 औद्योगिक संबंध

दिनांक 1.4.2012 से 31.3.2017 तक नियत वेतन पुनरीक्षण के संबंध में यूनियनों के साथ वेतन वार्ता की बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 1.4.2012 से कार्यपालकों के वेतन और अनुलब्धियों के पुनरीक्षण पर कार्य प्रगति में है। वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे।

## 12 पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के भाग के रूप में, आपकी कंपनी जो आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित है, अपने परिसरों के आसपास स्वच्छ परिवेश और हरा-भरा पर्यावरण बनाए रखती है । कंपनी सख्त प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट जल उपचार, शून्य निस्सारी उत्सर्जन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, हानिकारक तथा अपशिष्ट के अन्य रूपों के प्रणालीबद्ध प्रबंधन तथा निपटान के उपाय भी करती है ।

मंडल के प्रतिवेदन के ***संलग्नक-4*** में निर्वहनीयता रिपोर्ट में पर्यावरण प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया गया है।

## 13 संरक्षा

कंपनी में अपने कार्मिकों तथा संयंत्र और मशीनरी की संरक्षा के लिए एक संरचित व्यवस्था है । संरक्षा समिति नियमित आधार पर संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और संरक्षा कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है ।

वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित संरक्षा उपाय किए -

- हाइड्रोजन ब्रेज़िंग क्षेत्र और गैस संयंत्र में बेहतर हाइड्रोजन सेन्सरों की संस्थापना
- क्लीन रूम अनुप्रयोगों के अनुरूप नए क्लीन एजेंट तरह के अग्निशमन यंत्रों की खरीद और संस्थापना
- सोल्डर के धुएँ को खींचने के लिए निर्माणी क्षेत्रों में एक्झास्ट प्रणाली में सुधार।

## 14 गुणवत्ता

बेलॉप की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) आईएसओ 9001:2008 से प्रमाणित है। कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रक्रम नियंत्रण गुणवत्ता वर्धन के लिए 8डी साधनों का इस्तेमाल करना जारी रखा है।

## 15 सतर्कता

मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीईएल द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए बेलॉप के एक सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई । सतर्कता विभाग नियमित आधार पर खरीद, ठेकों और प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है, नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करता है और उसे संदर्भित किसी संदिग्ध लेनदेन की जाँच-पड़ताल करता है । कोई भी कर्मचारी या तृतीय पक्षकार किसी संदिग्ध लेन-देन के बारे में जाँच-पड़ताल कराने हेतु सतर्कता अधिकारी को सूचित कर सकते हैं ।

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा । कंपनी के सभी कार्यपालकों ने अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी दाखिल की । वर्ष के दौरान 61 क्रय आदेश / ठेके तथा 11 उच्च मूल्य के आदेशों / ठेकों की समीक्षा / छानबीन की गई और उन्हें व्यवस्थित पाया गया । 86 नियमित और 56 आकस्मिक निरीक्षण किए गए । जाँच-पड़ताल के तहत कोई मामला लंबित नहीं है ।

## 16 निष्ठा संधि

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने प्रापण संबंधी कार्यकलापों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सभी सरकारी संगठनों में बड़े मूल्य के ठेकों में निष्ठा संधि प्रारंभ करने की पहल की है । रक्षा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान बेलॉप ने ₹ 500 लाख और इससे अधिक मूल्य के सभी आदेशों / ठेकों के लिए सभी विक्रेताओं / पूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / सेवा प्रदाताओं के साथ एक निष्ठा संधि की है ।

## 17 आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन (आरटीआईए)

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यथा निर्दिष्ट, कुछेक कार्यपालकों को जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी मनोनीत किया है । वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। ।

## 18 निदेशालय

डॉ. अजीत टी कलघट्गी को निदेशक नियुक्त किया गया जो 27 सितंबर 2013 को आयोजित कंपनी की 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं । कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी के अंतर्नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, डॉ. अजीत टी कलघट्गी चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र बनने के कारण पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं ।

## 19 मंडल की बैठकें / निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

वर्ष के दौरान मंडल की 6 बैठकें आयोजित हुई जिनके विवरण कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का भाग बनते हैं ।

वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

## 20 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

जहाँ तक आपके निदेशकों की जानकारी और विश्वास है और उनके द्वारा प्राप्त की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के परिप्रेक्ष्य में आपके निदेशक निम्नलिखित वक्तव्य देते हैं -

क) कि वार्षिक लेखों को तैयार करने में, महत्वपूर्ण प्रकटणों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ-साथ, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है ;

ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को अपनाया और उन्हें स्थिरतापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन किए हैं जो उचित और दूरदर्शी हैं और वित्तीय वर्ष के अंत पर कंपनी के कार्यकलापों तथा उसी अवधि के लिए कंपनी के लाभ पर उचित और न्यायसंगत दृष्टि प्रदान करते हैं ;

ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है ;

घ) कि निदेशकों ने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं ;

ङ) कि सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणालियाँ विद्यमान और समुचित हैं और वे प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं ।

च) कि सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणालियाँ व्यवस्थित हैं, समुचित हैं और प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

**21 उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण आदेश**

विनियामकों, न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा ऐसा कोई उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो लाभप्रद और सक्रिय कारोबार की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करेगा ।

**22 वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ**

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ जो 31 मार्च, 2016 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बीच हुए हैं, कुछ नहीं हैं ।

**23 सांविधिक लेखा परीक्षक**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के प्रावधानों के तारतम्य में, वर्ष 2015-16 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में मेसर्स एम एस डी एन एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार पुणे को नियुक्त किया है । वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा बीईएल की आंतरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा की गई ।

**24 लागत लेखा परीक्षक**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 जिसे कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 (यथा संशोधित) के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, कंपनी द्वारा अपने निर्माणी कार्यकलापों के संबंध में रखने गए लागत अभिलेखों का लागत लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जानी है। लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर आपके निदेशकों ने कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मे. जोशी आप्टे एंड एसोसिएट्स को कंपनी का लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

**25 लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन**

वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत वर्ष 2015-16 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 'कुछ नहीं' टिप्पणी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है ।

**26 लेखा परीक्षा समिति का संघटन**

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य इस प्रकार हैं -

| | |
|---|---|
| 1) श्री एम. एल. षणमुख | अध्यक्ष |
| 2) डॉ अजीत टी. कलघट्गी | सदस्य |
| 3) श्री प्रभात आचार्या | सदस्य |

लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें मंडल द्वारा स्वीकार की गईं।

**27 संबंधित पक्षकार के लेनदेन**

कंपनी के प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन या उनके संबंधियों के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन नहीं किया गया जिससे कंपनी के हित का संभावित संघर्ष हो । संबंधित पक्षकार के लेन-देन जो वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए, स्वतंत्र व निष्पक्ष लेनदेन आधार पर किए गए और कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए । संबंधित पक्षकार के सभी लेनदेन लेखा परीक्षा समिति और साथ ही मंडल के समक्ष अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, हेतु रखे गए हैं ।

**28 ऋण / गारंटियाँ / निवेश**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटियों, निवेशों के विवरण 'कुछ नहीं' हैं ।

**29 वार्षिक विवरणी का सार**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के अनुसार, फार्म एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी एतद्वारा ***संलग्नक 5*** में दी गई है।

**30 पारिश्रमिक नीति**

मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति का मसौदा तैयार किया है । इसके विवरण कार्पोरेट अभिशासन की रिपोर्ट में दिए गए हैं ।

**31 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण**

कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं । आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक विस्तृत टिप्पणी प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है।

**32 प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट**

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों (डीपीई) के अनुसार प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ ***संलग्नक 1*** में दी गई है ।

## 33 कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ ***संलग्नक 2*** में दी गई है ।

## 34 जोखिम प्रबंधन

जोखिमों से निपटने के लिए किए गए उपाय कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में निर्धारित किए गए हैं।

## 35 कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, यह संस्तुत है कि कंपनी सीएसआर कार्यकलाप करे और सीएसआर कार्यों पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करे ।

ऊपर संदर्भित प्रावधानों के तारतम्य में, कंपनी ने मंडल की एक सीएसआर समिति गठित की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं –

1) श्री एम एल षणमुख अध्यक्ष
2) डॉ अजित टी कलघट्गी सदस्य
3) श्री प्रभात आचार्या सदस्य

बहरहाल, वर्ष के दौरान कंपनी के पास निधियों के अभाव के कारण, निदेशक मंडल ने वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर कोई खर्च न करने का निर्णय लिया है ।

कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के नियम 8 के तारतम्य में, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट, ***संलग्नक 3*** में दी गई है ।

## 36 निर्वहनीयता रिपोर्ट

लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी "निर्वहनीय विकास" पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत यथा अपेक्षित, "निर्वहनीय विकास" पर कंपनी के प्रयासों पर एक अलग अध्याय इस रिपोर्ट, ***संलग्नक 4*** में दी गई है ।

## 37 कर्मचारियों के विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी में ऐसे कोई कर्मचारी नहीं थे जो वित्तीय वर्ष पर्यंत नियोजित थे और जिनका कुल पारिश्रमिक ₹ 60 लाख प्रति वर्ष से अधिक था या जो वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित थे और जिनका कुल पारिश्रमिक ₹ 5 लाख प्रति माह से अधिक था ।

## 38 अन्य प्रकटण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम), जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार प्रकट की जाने वाली सूचना, जो ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय से संबंधित है, ***संलग्नक 6*** में दी गई है ।

**39 आभार**

आपके निदेशक सभी ग्राहकों, विशेषकर रक्षा सेवाएँ और परा सैन्य बलों और साथ ही, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन की सराहना करते हैं और भविष्य में उनके सतत् समर्थन एवं सहयोग की अपेक्षा करते हैं । आपके निदेशक बेलॉप में टीओटी के कार्यान्वयन के लिए मे. फोटोनिस द्वारा प्रदान किए गए सहयोग की भी सराहना करते हैं और भविष्य में सार्थक सहयोग जारी रहने की आशा करते हैं । आपके निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखा परीक्षा मंडल के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों, सांविधिक लेखा परीक्षक, कंपनी के बैंकर और विक्रेताओं के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए सच्चे प्रयासों की सराहना करते हैं जिसके कारण आपकी कंपनी वर्ष के दौरान अच्छा कार्य-निष्पादन हासिल करने में सक्षम बनी । आपके निदेशक धारक कंपनी, मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और शेयरधारकों, विशेषकर भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विशिष्ट वचनबद्धता से प्राप्त समर्थन के लिए अपनी सराहना और आभार व्यक्त करते हैं ।

**मंडल के लिए तथा उसकी ओर से**

**-हस्त-**

**सुनील कुमार शर्मा**
**अध्यक्ष**

**स्थान - बेंगलूर**
**दिनांक – 2 अगस्त, 2016**

**मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 1**

## प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

### क) उद्योग की संरचना और विकास, शक्तियाँ, कमज़ोरियाँ, सुअवसर एवं जोखिम तथा निर्वहनीय कार्य-निष्पादन तथा विकास सुनिश्चित करने के लिए किए गए और योजित प्रमुख पहल

(क) अर्थव्यवस्था, उद्योग की सामान्य जानकारी जिसमें कंपनी कार्य करती है, बाजार की दशाएँ तथा ये कंपनी पर कैसे प्रभाव डालती हैं, कंपनी के हित की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदम/ कार्य योजना;

वैश्विक अर्थव्यवस्था कमज़ोर आर्थिक विकास के दौर से गुजर रही है जिसमें अनेक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट हो रही है, कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं, वित्तीय बाज़ार अस्थिर हो रहे हैं और विनिमय दरें अनिश्चित हो रही हैं। बहरहाल, वर्ष 2015-16 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छी विकास दर दर्शाया है और मुद्रास्फीति, वित्तीय घाटा और चालू लेखा शेष जैसी अन्य व्यष्टि आर्थिक परिमापियों ने इस अवधि में भी सुधार के चिह्न दर्शाए हैं।

'मेक इन इंडिया' पर सरकार के लगातार ज़ोर देने और रक्षा क्षेत्र में एफडीआई में बढ़ोत्तरी से भारतीय रक्षा बाज़ार पर लोगों का ध्यान खींचा है और भारतीय तथा विदेशी कंपनियों द्वारा अधिक स्पर्धा पैदा की है। बेलॉप इस स्पर्धा का सामना करने के लिए और विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार है।

### ख) एस डबल्यू ओ टी विश्लेषण

❖ **शक्तियाँ -**

- उच्च कार्य-निष्पादन वाले आई.आई. ट्यूबों का स्वदेशी निर्माण करने के लिए अत्युन्नत प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता ।
- दो दशकों से अधिक का अनुभव जिससे इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूबों के क्षेत्र में उत्कृष्ट ज्ञान और मुख्य सक्षमताएँ प्राप्त हुईं।
- आई.आई. ट्यूबों के निर्वहनीय निर्माण के लिए कच्चे माल और घटकों की आपूर्ति के लिए संस्थापित विक्रेता आधार ।
- ग्राहकों को बेहतर उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं, निर्माण और परीक्षण अवसंरचना के निरंतर कोटि उन्नयन के लिए मज़बूत डी एंड ई और परियोजना टीम ।
- ग्राहकों को दीर्घकालीन प्रतिबद्धता के कारण मज़बूत ग्राहक समर्थन।
- कार्य की अच्छी पद्धतियाँ।
- आईएसओ 9001:2008 से प्रमाणित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) तथा आईएसओ 14001:2004 से प्रमाणित पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)

❖ **कमज़ोरियाँ –**

- एकल उत्पाद तथा अनन्य रूप से एक ही ग्राहक यानी भारतीय र.मं. पर निर्भरता ।
- प्रमुख कच्चा माल और घटक (आर एम तथा सी) देश में उपलब्ध नहीं । आरएम तथा सी के लिए आयात प्रतिस्थापन की आपूर्ति करने के लिए स्वदेशी स्रोत विकसित करने हेतु अधिक तकनीकी प्रयासों की ज़रूरत।

❖ **सुअवसर –**

- बढ़ती रक्षा और सुरक्षा ज़रूरतें
- बढ़ती रक्षा और आंतरिक सुरक्षा ज़रूरतों पर विचार करते हुए न्यूनतम 8-10 वर्षों के लिए उच्च कार्य-निष्पादन आई.आई. ट्यूबों का संभावित बाज़ार ।
- रक्षा उपस्करों के मेक इन इंडिया निर्माण पर सरकार द्वारा ज़ोर दिया जाना ।
- केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण पर अधिक ज़ोर।

❖ **जोखिम –**

- निजी कंपनियों से अधिक स्पर्धा ।

**ग) <u>निर्वहनीय कार्य-निष्पादन एवं प्रगति सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रमुख पहल</u> -**

**क) <u>प्रौद्योगिकी का कोटि उन्नयन एवं अनु. व वि.</u>**

बेलॉप ने अपने ग्राहकों के लिए गहन विनिर्माण के माध्यम से एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूबों की आपूर्ति शुरु की है । कंपनी संस्थागत अनु. व वि. के माध्यम से नए उत्पाद विकसित करने के प्रयास भी कर रही है । भारतीय थलसेना द्वारा अधिक वर्धित निष्पादन वाले ट्यूबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कंपनी ने मई 2014 के दौरान एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने के लिए मे. फोटोनिस फ्रांस एसएएस, फ्रांस तथा उसकी संबद्ध कंपनी मे. इमेजिंग सेन्सर्स इंटरनेशनल, फ्रांस के साथ एक टीओटी करार किया है । एक्सआर-5 परियोजना कार्यान्वयन के तहत है।

**घ) <u>जोखिम प्रबंधन, लागत कटौती तथा स्वदेशीकरण पर किए गए विशिष्ट उपाय</u>**

**क) जोखिम प्रबंधन**

कंपनी में एक संस्थापित जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें प्रौद्योगिकी, उत्पाद, विपणन, मानव संसाधन, वित्त तथा अन्य प्रचालनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न जोखिमों के अभिचिह्नन, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण और उपचार का ढांचा तैयार किया गया है । कंपनी में जोखिमों के सतत् अभिचिह्नन, कोटि उन्नयन, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण और प्रबंधन के लिए एक 'व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा' मौजूद है । इस ढांचे के अंतर्गत शीर्षस्थ स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन

समिति (आरएमसी) गठित जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी (बेलॉप) करते हैं और विनिर्माण, विपणन, डिज़ाइन एवं इंजीनियरी, वित्त और मा.सं. जैसे महत्वपूर्ण कार्यशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं । जोखिम चैम्पियन (आरसी) उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी होते हैं । आरएमसी तिमाही आधार पर समग्र रूप से कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रयासों की समीक्षा करती है । आरएमसी प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को तिमाही रिपोर्ट पेश करती है। कंपनी आरएम की स्थिति के बारे में मंडल को वार्षिक रूप से सूचित करती है ।

कुछेक जोखिम जिन्हें पहचाना गया है, को उचित जोखिम प्रशमन प्रक्रियाएँ शुरु करते हुए निपटा जा रहा है । इसी तरह, किसी प्रमुख प्रबंधकीय निर्णय के मामले में, जोखिम के कारकों को उचित निर्णयलेने के लिए निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को उजागर किया जाता है ।

**ख) <u>लागत कटौती और स्वदेशीकरण</u>**

कंपनी के लागत कटौती के कार्यकलापों में निर्माणी और निर्माणेत्तर दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है और उनमें उत्पादन, प्रशासन, वित्त, सेवाएँ आदि जैसे कारोबार के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है । कंपनी ने निर्माणी और उप-ठेका के क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप किए हैं जिससे गुणवत्ता और उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई है और इसके फलस्वरूप लागत में कटौती हुई है ।

**ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता**

कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है जो उसके आकार तथा प्रचालनों की प्रकृति के अनुरूप है । इनका अभिकल्प इस प्रकार तैयार किया गया है कि विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रचालनात्मक सूचना दर्ज और प्रदान करने, लागू संविधियों का अनुपालन करने, अप्राधिकृत इस्तेमाल या हानियों से परिसंपत्तियों की रक्षा करने, उचित प्राधिकरण के साथ लेन-देन करने तथा समय-समय पर जारी कंपनी की नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने की दृष्टि से उपाय किए जा सकें ।

वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा बीईएल की आंतरिक लेखा परीक्षा की टीम द्वारा की गई ।

आपकी कंपनी में एक लेखा परीक्षा समिति है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करती है और उल्लेखनीय लेखा परीक्षा के प्रेक्षण पेश करती है । लेखा परीक्षा समिति कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठक करती है ताकि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, लेखा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, पर्याप्तता और कंपनी द्वारा अनुसरित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता सहित, वित्तीय विवरणों पर उनके विचार जानने के साथ-साथ, उन्हें अभिनिश्चित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा और उसकी रिपोर्ट सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनके वार्षिक प्रतिवेदन में की जाती है । एक सरकारी कंपनी होने के नाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बेलॉप की सरकारी लेखा परीक्षा भी की जाती है ।

## ग) वित्तीय / प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

### 1. रणनीति एवं उद्देश्य

कंपनी की वित्तीय रणनीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं -

(i) कम से कम उधार लेने और फलस्वरूप कम से कम ब्याज लागत के लिए प्रभावी नकदी प्राप्ति प्रबंधन द्वारा निधियाँ उपलब्ध कराना ।

(ii) आवश्यकता पड़ने पर किफायती दरों में निधि जुटाने में सक्षम बनने के लिए अल्प काल में सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग बनाए रखना।

(iii) कर योजना प्रभावी ढंग से करना ताकि कर के बाद की प्राप्ति में सुधार हो ।

(iv) विभिन्न पणधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करना ।

(v) आज्ञापक लेखा मानकों का अनुसरण करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग के उच्चतम मानकों को बनाए रखना ।

प्रत्येक सूचीबद्ध उद्देश्य को बेलॉप द्वारा लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है । वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने बाहरी उधार का आश्रय लिए बिना, आंतरिक संसाधनों से कार्यशील पूँजी का ज़रूरतों का वित्त-पोषण करने तथा पूँजीगत व्यय का वित्त-पोषण करने का प्रयास किया ।

### 2. कार्य-निष्पादन की झलकियाँ

(₹ लाख में)

| विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|---|---|---|
| सकल विक्रय | 10663.55 | 10264.93 |
| वित्त लागतों से पहले कुल व्यय | 111307.60 | 14305.61 |
| वित्त लागत व कर पूर्व लाभ | 854.26 | 663.47 |
| प्रचालनीय मार्जिन (पीबीआईटी/सकल विक्रय) अनुपात% | 8.01 | 6.46 |
| कर पश्चात् लाभ | 242.77 | 366.69 |
| वस्तुसूची के दिनों की सं. / उत्पादन का मूल्य (डीपीई विधि) | 91 | 109 |
| दिनों की सं. – व्यापार से प्राप्त/ आवर्त | 60 | 41 |
| चालू अनुपात | 0.91 | 0.64 |
| ऋण साम्या अनुपात | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

## 3. 2015-16 के वित्तीय कार्य-निष्पादन का विश्लेषण

- विक्रयावर्त जो 2014-15 में ₹ 10,264.93 लाख था, 3.88% बढ़कर 2015-16 में ₹ 10663.55 लाख हुआ ।
- उत्पादन का मूल्य जो 2014-15 में ₹ 10,705.55 लाख था, ₹ 230.93 लाख घटकर 2015-16 में ₹ 10474.62 लाख हुआ ।
- पी.ए.टी. जो 2014-15 में ₹ 366.69 लाख से 33.79% घटकर 2014-15 में ₹ 242.77 लाख हुआ|
- 2015-16 में पी.ए.टी. से विक्रय का अनुपात 2.46% है ।
- प्रति कर्मचारी विक्रय जो 2014-15 में ₹ 78 लाख था, 6.41% बढ़कर 2015-16 में ₹ 83 लाख हुआ ।
- प्रति शेयर अर्जन ₹ 9.37 है ।
- निवल मूल्य जो 2014-15 में ₹ 5,814.46 लाख था, 81.37% तक बढ़कर 2015-16 में ₹ 10545.42 लाख हुआ ।

### घ) मानव संसाधन विकास

कंपनी ने कुल 449 श्रम दिवसों के लिए तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जो प्रति कर्मचारी औसतन 3.36 श्रमदिवस परिकलित होता है ।

**मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 2**

## कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

### अभिशासन का सिद्धांत और संहिता

कार्पोरेट अभिशासन का बेलॉप का सिद्धांत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, समुचित प्रकटण, विधिक अनुपालन, निर्णय लेने में पारदर्शिता तथा हित संघर्ष का निवारण करने के सिद्धांतों पर आधारित है । बेलॉप ग्राहक तुष्टिकरण, वित्तीय दूरदर्शिता एवं मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता में विश्वास करती है । हमारी कार्पोरेट संरचना, कारोबार तथा प्रकटण की पद्धतियाँ हमारे कार्पोरेट अभिशासन के सिद्धांत के अनुरूप हैं ।

### निदेशक मंडल

### संघटन

कंपनी अधिनियम, 2013 के तारतम्य में, बेलॉप जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, एक 'सरकारी कंपनी' है। वर्तमान में, निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित चार निदेशक हैं । बीईएल के मंडल के अध्यक्ष ही मंडल तथा बेलॉप के अध्यक्ष हैं । चारों निदेशक बेलॉप के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार बीईएल द्वारा नामित किए जाते हैं ।

निदेशक मंडल का संघटन नीचे दिया गया है -

| | |
|---|---|
| क) श्री सुनील कुमार शर्मा, अध्यक्ष | सीएमडी, बीईएल |
| ख) श्री एम.एल. षणमुख, निदेशक | निदेशक (मा.सं.), बीईएल |
| ग) डॉ. अजीत टी. कलघट्गी, निदेशक | निदेशक (अनु. व वि.), बीईएल |
| ग) श्री प्रभात आचार्या, निदेशक | निदेशक (वित्त), बीईएल |

### बैठकें एवं उपस्थिति

31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, मंडल की छः बैठकें आयोजित की गईं और किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल 90 दिनों का था । मंडल की बैठकें दिनांक 19.05.2015, 22.07.2015, 30.07.2015, 28.10.2015, 20.1.2016 और 21.03.2016 को आयोजित की गईं । 2015-16 के दौरान मंडल की बैठकों, वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा धारित अन्य कंपनियों में निदेशक के ओहदे / समिति की सदस्यता की संख्या संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

| क्र.सं. | निदेशक<br>अंशकालिक निदेशक | निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें | मंडल की बैठकों की संख्या जिनमें शामिल हुए | 31 अगस्त 2015 को हुई पिछली एजीएम में उपस्थिति | धारित अन्य निदेशक पद | *सभी कंपनियों में समिति की सदस्यता की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | अध्यक्ष के रूप में | सदस्य के रूप में |
| 1 | श्री सुनील कुमार शर्मा | 6 | 6 | हाँ | 1 | नहीं | नहीं |
| 2 | श्री एम.एल. षणमुख | 6 | 6 | हाँ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | डॉ. अजीत टी. कलघट्गी | 6 | 6 | हाँ | 2 | नहीं | 1 |
| 4 | श्री प्रभात आर. आचार्या | 6 | 6 | हाँ | 2 | नहीं | 1 |

* केवल लेखा परीक्षा समिति तथा शेयरधारकों की संबंध समिति की सदस्यता पर ही विचार किया जाता

है ।


**आचार संहिता**

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई के दिशा-निर्देश) द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी किए गए कार्पोरेट अभिशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है । मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वर्ष 2015-16 के दौरान इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा जो अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

**लेखा परीक्षा समिति**

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का संघटन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में विनिर्दिष्टानुसार तीन निदेशक हैं । इसके अतिरिक्त, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक तथा आंतरिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में शामिल होते हैं । कंपनी सचिव इस लेखा परीक्षा समिति के सचिव हैं । लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष दिनांक 31 अगस्त, 2015 को आयोजित कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल हुए । लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में यथा विनिर्दिष्ट तथा डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार होते हैं ।

**लेखा परीक्षा समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं –**

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय सूचना के प्रकटण का पर्यवेक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय सूचना सही, समुचित और विश्वसनीय हैं
- तिमाही लेखा अपरीक्षित वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना
- सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन करना
- वित्तीय तथा प्रचालनीय कार्य-निष्पादन पर प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट की समीक्षा करना
- कंपनी की प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तथा सरकार और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करना
- कंपनी के मुख्य वित्तीय जोखिम उद्भासनों तथा ऐसे उद्भासनों की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना और उन पर चर्चा करना
- सांविधिक तथा आंतरिक लेखा परीक्षाओं में देखी गई उल्लेखनीय लेखा परीक्षा निष्कर्षों, की गई सिफारिशों और उन पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना
- संबंधित पक्षकार के ऐसे लेन-देन तथा उन पर किए गए अनुवर्ती संशोधनों को अनुमोदन प्रदान करना
- अंतर-कार्पोरेट ऋणों और निवेशों की छानबीन करना
- जहाँ आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रम या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकें दिनांक 19.05.2015, 22.07.2015,30.07.2015, 28.10.2015 और 20.01.2016 को हुईं।

उपर्युक्त बैठकों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही -

| नाम | निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठक में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री एम.एल. षणमुख | 5 | 5 |
| डॉ. अजीत टी. कलघट्गी | 5 | 5 |
| श्री प्रभात आचार्या | 5 | 5 |

**जोखिम प्रबंधन**

कंपनी में जोखिमों की निरंतर पहचान करने, अद्यतन करने, मूल्यांकन करने, उनकी प्राथमिकता तय करने और प्रबंधन करने के लिए एक व्यापक 'जोखिम प्रबंधन ढांचा' व्यवस्थित है। इस ढांचे के तहत, शीर्षस्त स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित है जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (बेलॉप) द्वारा किया जाता है और इसके सदस्य विनिर्माण, विपणन, डिज़ाइन और इंजीनियरी जैसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों से होते हैं। जोखिम चैम्पियन (आरसी) उ.म.प्र. स्तर के अधिकारी होते हैं। आरएमसी तिमाही आधार पर संपूर्ण कंपनी में जोखिम प्रबंधन के प्रयासों की समीक्षा करती है। आरएमसी तिमाही आधार पर प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करती है । कंपनी आरएम की स्थिति की रिपोर्ट वार्षिक आधार पर मंडल को करती है।

**नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुपालनार्थ, मंडल ने विद्यमान "पारिश्रिमिक समिति" का नाम बदलकर "नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति" किया है जिसका संघटन इस प्रकार है –

1) श्री एम एल षणमुख अध्यक्ष
2) डॉ अजीत टी कलघट्गी सदस्य
3) श्री प्रभात आचार्या सदस्य

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में इसके अध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही –

| नाम | निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठक में उपस्थिति |
|---|---|---|
| श्री एम.एल. षणमुख | 5 | 5 |
| डॉ. अजीत टी. कलघट्गी | 5 | 5 |
| श्री प्रभात आचार्या | 5 | 5 |

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के कुछेक कार्य इस प्रकार हैं –

- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों /मार्गदर्शी बातों के अनुसार मंडल को नीति की सिफारिश करना।

- वेतन संबंधी सभी मामलों की सिफारिश मंडल को करना।

**पारिश्रमिक समिति**

क) निदेशकों का पारिश्रमिक

बेलॉप जब कभी आवश्यक हो, निदेशकों का पारिश्रमिक इस प्रकार निर्धारित करेगी जो रक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संप्रेषित, भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुपालन में होंगे ।

ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक

बेलॉप मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक तय करते समय निम्नलिखित का पालन सुनिश्चित करेगी

(i) कंपनी इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी प्रत्येक दिशा-निर्देश का पालन करने के लिए बंधनकारी होगी ।

(ii) निर्धारित पारिश्रमिक का स्तर और संघटन औचित्यपूर्ण और समुचित होगा ताकि कंपनी को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कर्मचारियों को आकृष्ट, प्रतिधारित और प्रेरित किया जा सके ।

(iii) पारिश्रमिक का स्तर इस प्रकार होगा कि कार्य-निष्पादन और पारिश्रमिक के बीच स्पष्ट संबंध हो ।

(iv) पारिश्रमिक में नियत वेतन और प्रोत्साहन वेतन उस न्यायिक अनुपात में शामिल होगा जो कंपनी के कामकाज के अनुकूल हो और कंपनी को उसके अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो ।

**निदेशकों का पारिश्रमिक**

कंपनी अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक अदा नहीं करती है । कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए स्टॉक का विकल्प नहीं दिया है ।

**कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तारतम्य में, कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया गया है ।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) के विचारणीय विषय की मुख्य बातें इस प्रकार हैं –

क) मंडल को कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार कर उसकी सिफारिश करना जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्टानुसार कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप दर्शित किए गए हों ।

ख) खंड क) में संदर्भित कार्यकलापों को करने पर उपगत होने वाले खर्च की राशि की सिफारिश करना

ग) कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना ।

31 मार्च, 2016 को कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का संघटन इस प्रकार है –

1) श्री एम एल षणमुख अध्यक्ष

2) डॉ अजीत टी कलघट्गी सदस्य

3) श्री पी आर आचार्या सदस्य

कंपनी ने इसके तहत किए जाने वाले कार्यकलापों को दर्शाते हुए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को अपनाया है । बहरहाल, कंपनी के पास निधियों की कमी को देखते हुए, निदेशक मंडल ने वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर कोई राशि खर्च न करने का निर्णय लिया है ।

**निदेशकों का शेयरधारण**

यथा 31.03.2016 को कंपनी के कोई भी निदेशक कंपनी का ईक्विटी शेयर धारित नहीं करते।

**अन्य मंडल की उप-समितियाँ**

आपके निदेशकों ने मंडल की निम्नलिखित उप-समितियाँ गठित की हैं -

निवेश समिति जिसमें अल्पकालीन अधिशेष निधियों के निवेश को अनुमोदित करने के लिए अध्यक्ष, तीन निदेशक, सीईओ तथा वित्त प्रमुख शामिल होते हैं ।

**संबंधित पक्षकार के लेनदेन**

संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए और दोनों पक्षकार की मूल्य निर्धारित नीति के आधार पर किए गए।

**सामान्य निकाय की बैठकें**

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के ब्यौरे इस प्रकार हैं –

| **वर्ष** | **स्थान** | **तारीख और समय** |
|---|---|---|
| 2012-13 | पंजीकृत कार्यालय | 27 सितंबर 2013, 12.00 बजे |
| 2013-14 | पंजीकृत कार्यालय | 23 सितंबर 2014, 12.30 बजे |
| 2014-15 | पंजीकृत कार्यालय | 31 अगस्त, 2015, 12.30 बजे |

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों की संबंधित नोटिसों में निर्धारित, विशेष संकल्पों सहित सभी संकल्प शेयरधारकों द्वारा पारित किए गए । पिछले वर्ष कोई भी संकल्प डाक मतदान द्वारा नहीं किया गया ।

**प्रकटण**

(क) कंपनी ने ऐसा कोई उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार का लेनदेन नहीं किया है जिससे व्यापक तौर पर कंपनी के हितों का कोई संभावित संघर्ष होता हो । फिर भी, संबंधित पक्षकारों के लेनदेनों को वार्षिक प्रतिवेदन में लेखों की टिप्पणी सं. 31 के बिन्दु सं. 9 में प्रकट किया गया है ।

(ख) निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च प्रबंधन के लिए ऐसा अन्य कोई व्यय नहीं किया गया, जो प्रकृति से निजी है ।

(ग) कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित या उसके लिए प्रासंगित व्यय तथा कर्मचारियों / पूर्व-कर्मचारियों के कल्याण की ओर किए गए खर्च को छोड़कर, व्यय की कोई भी मद लेखा बहियों में नामें नहीं की गई ।

(घ) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालयीय व्यय तथा उसमें वृद्धि, यदि कोई हो, के कारण -

पिछले वर्ष के 0.63% के समक्ष वर्ष 2015-16 में प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय कुल व्ययों का 1.47% रहा । वर्ष के दौरान कोई उल्लेखनीय विचलन नहीं हुआ ।

## एमसीए-21 का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 1956 (एमसीए-21) को कार्यान्वित करने में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल में सार्वजनिक, कार्पोरेट स्वत्वों तथा अन्य लोगों को कार्पोरेट सूचना तक आसान और सुरक्षित ऑनलाइन पहुँच प्रदान किया गया है जिसमें दस्तावेजों की फाइलिंग तथा किसी भी समय और कहीं से भी, संविधि के तहत सार्वजनिक प्रक्षेत्र में रहने के लिए अपेक्षित सूचना तक सार्वजनिक पहुँच शामिल है । कंपनी ने 2015-16 के दौरान एमसीए-21 के तहत सभी आज्ञापक ई-फाइलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन किया है ।

## राष्ट्रपति के निर्देश एवं दिशा-निर्देश

आपकी कंपनी को अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले राष्ट्रपति के निर्देशों तथा दिशा-निर्देशों का अक्षरत: और भावत: पालन करना होता है । सरकारी निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाना है । इस विषय में व्यवहार करने वाले अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे इस विषय पर अपने ज्ञान को अद्यतन रख सकें और अपना कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित कर सकें । इनका प्रतिनिधित्व अभिनिश्चित करने के लिए कंपनी में कार्यग्रहण करते समय कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जाता है । जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कार्य पूरा करने के बाद भर्ती / पदोन्नति के रोस्टर तैयार करने और उन्हें बनाए रखना आवश्यक है । आपकी कंपनी को अक्षम व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण पर सरकारी निर्देशों को कार्यान्वित करना आवश्यक है ।

**यथा 31 मार्च 2016 को शेयरधारण की प्रविधि**

| क्र.सं. | वर्ग | शेयरधारकों की सं. | शेयरों की सं. | % धारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रवर्तक – मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | 1 | 37,83,678 | 100.00 |

**यथा 31 मार्च 2016 को सर्वोच्च 10 शेयरधारक**

| क्र.सं. | नाम | शेयरों की सं. | % धारण |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रवर्तक – मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | 37,83,678 | 100.00 |

**क्रेडिट रेटिंग**

वर्ष 2015-16 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) ₹ 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग ।

(ii) ₹ 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग ।

दीर्घकालीन रेटिंग की दृष्टि 'स्थिर' है । ये 6 नवंबर 2016 तक वैध हैं ।

**सीईओ/ सीएफओ का प्रमाणीकरण**

डीपीई के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में, सीईओ/सीएफओ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और उसे लेखा परीक्षा समिति और मंडल के समक्ष पेश किया गया है ।

**अनुपालन**

कंपनी डीपीई को कार्पोरेट अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट पेश करती आ रही है ।

**डीपीई का श्रेणीकरण**

सीपीएसई के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि सीपीएसई का श्रेणीकरण इन दिशा-निर्देशों पर उनके अनुपालन के आधार पर किया जाएगा ।

**पंजीकृत कार्यालय / पत्राचार का पता**

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि.
पंजीकृत कार्यालय - ईएल-30, 'जे' ब्लॉक, एमआईडीसी, भोसरी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे- 411 026
फ़ोन - (020) 27130981/2/3/4; फैक्स- (020) 27130589; ई-मेल - info@belop.co.in

**घोषणा**

डीपीई के का.ज्ञा. सं. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई 2010 में दिए गए अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तारतम्य में, कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निर्धारित कारोबारी आचार संहिता एवं नीति का अनुपालन संपुष्ट किया है ।

**कृते बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड**
**-हस्त-**
**सुनील कुमार शर्मा**
**अध्यक्ष**

**स्थान - बेंगलूर**
**दिनांक - 2 अगस्त, 2016**

## कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के तहत यथा आवश्यक, सीईओ तथा सीएफओ का प्रमाणीकरण

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि –

(क) हमने 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्राप्ति विवरणी की समीक्षा की है और यह कि जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है -

(i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत कथन नहीं किया गया है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रामक विवरण शामिल नहीं है।

(ii) ये विवरण कंपनी के कार्यकलापों की उचित और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों तथा विनियमों का पालन करते हैं।

(ख) जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध हो या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रणों को संस्थापित करने और बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की कार्यशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प एवं प्रचालन में देखी गई कमियों के बारे में बताया है जिनके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाएँ हैं या उठाने प्रस्तावित हैं, उनके बारे में बताया है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारें में सूचित किया है –

(i) कि वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किए गए,

(ii) कि वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तनों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है, और

(iii) कि महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का कोई मामला देखने को नहीं मिला जो हमारे जानकारी में आया हो तथा जिसमें प्रबंधन या वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोई कर्मचारी शामिल हों।

**हस्त/-**
**(प्रिया अय्यर)**
**कंपनी सचिव तथा सीएफओ**
**दिनांक 19/05/2016**

**हस्त/-**
**(एस.एस. कुलकर्णी)**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**दिनांक 19/05/2016**

**मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 3**

## सीएसआर कार्यकलापों पर रिपोर्ट

**1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है –**

क) बेलॉप कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को मान्यता प्रदान करती है और उसे स्वीकार करती है जिसके द्वारा कंपनी उस पर्यावरण की सेवा करने का संकल्प लेती है जिसने वर्षों के दौरान बेलॉप के कार्यकलापों और प्रयासों का निर्वाह किया है ।

ख) बेलॉप सीएसआर कार्यकलापों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से ऐसे निर्वहनीय ढंग से जो पारदर्शी और नैतिक हैं, संचालित करने के लिए अपने पणधारकों के प्रति वचनबद्ध है ।

**2. सीएसआर समिति का संघटन इस प्रकार है –**

| | |
|---|---|
| 1) श्री एम एल षणमुख | अध्यक्ष |
| 2) डॉ अजीत टी कलघट्गी | सदस्य |
| 3) श्री पी आर आचार्या | सदस्य |

**3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ**

औसत निवल लाभ ₹ 588.01 लाख है ।

**4. निर्धारित सीएसआर खर्च (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत)**

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 11.76 लाख खर्च करना है ।

**5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के विवरण ।**

कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर कोई राशि खर्च नहीं की ।

**6. वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इस अवधि के किसी भाग के औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत की राशि खर्च न करने के कारण ।**

वर्ष के दौरान, बेलॉप ने कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी धारक कंपनी और बैंकों से लगभग ₹ 78 करोड़ उधार लिया है । इसलिए, कंपनी में निधियों के अभाव तथा एक्सआर-5 परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता पर विचार करते हुए, निदेशक मंडल ने वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर कोई खर्च न करने का निर्णय लिया है ।

**7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में हैं, नीचे दिया गया है –**

**उत्तरदायित्व कथन**

बेलॉप की सीएसआर समिति एतद्वारा यह संपुष्ट करती है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है ।

| | |
|---|---|
| **-हस्त- -** | **हस्त-** |
| **(एस.एस. कुलकर्णी)** | **(एम.एल. षणमुख)** |
| **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बेलॉप** | **अध्यक्ष, सीएसआर समिति, बेलॉप** |

**मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 4**

## निर्वहनीयता रिपोर्ट

भारत सरकार, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 3(9)-2010-डीपीई (एमओयू) दिनांक 23 सितंबर 2011 द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए निर्वहनीय विकास पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

डीपीई के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में, "निर्वहनीय विकास" को "ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता से समझौता किए बिना, वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है" के रूप में परिभाषित किया गया है । निर्वहनीय विकास में आर्थिक कार्य, समाज की प्रगति और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व के प्रति सहनशील और संतुलित दृष्टिकोण शामिल है ।

बेलॉप जो आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित है, संवृद्धि के साथ पर्यावरण को बचाए रखने के लिए कटिबद्ध है । यह अपने परिसरों में हरित वातावरण बनाए रखती है और इसने पर्यावरणीय संबंधी विभिन्न प्रबंध पद्धतियों को कार्यान्वित किया है ।

### निर्वहनीय विकास पहल

#### वायु में उत्सर्जन

प्रक्रमों से होने वाले वायु उत्सर्जन को समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है । वायु उत्सर्जन के स्टेक की निगरानी तिमाही आधार पर वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अनुसार की जाती है ।

#### जल प्रबंधन

एमपीसीबी के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने उपयुक्त स्थलों पर पानी के मीटर लगाए हैं और दैनंदिन आधार पर पानी की खपत की निगरानी करती है ।

#### ध्वनि प्रदूषण

कारखाने के परिसरों में ध्वनि प्रदूषण को एमपीसीबी के मानदंडों के अनुसार तिमाही आधार पर मापा जाता है ।

#### जल प्रदूषण

ईटीपी संयंत्र में औद्योगिक निस्सारी का उपचार किया जाता है और एमपीसीबी के मानदंडों के अनुसार उसे निपटाया जाता है । कंपनी ने निस्सारी के उपचार के लिए सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) भी स्थापित किया है और पुन:चक्रित पानी का इस्तेमाल बगीचों में किया जाता है ।

### हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

कंपनी अपने हानिकारक अपशिष्टों का निपटान हानिकारक अपशिष्ट नियम, 2008 के अनुसार एमपीसीबी के प्राधिकृत रिसाइक्लर को करती है । प्रत्येक वर्ष फार्म IV में नियमित विवरणियाँ पेश की जाती हैं । वर्ष के दौरान कंपनी ने हानिकारक मदों की खपत और पर्यावरण पर उनकी संभावित दुष्प्रभावों को कम करने के लिए अपनी निर्माणी प्रक्रियाओं में प्रयुक्त कुछेक हानिकारक मदों का पुनर्प्रयोग करने के प्रयास किए हैं।

### स्थल पर आपात योजना और प्रणालियाँ

स्थल और कंपनी भर में नकली कवायत आवधिक रूप से संचालित की जाती है और कारखाने के परिसरों में प्रमुख स्थलों पर स्थल पर आपात योजना प्रदर्शित की जाती है ।

### पारिस्थितिकी निर्वहनीयता

कंपनी वृक्षारोपण तथा हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित करती है ।

**मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 5**

**फार्म सं. एमजीटी-9**
**वार्षिक विवरणी का सार**

**31/03/2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष को**

***[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के तारतम्य में]***

**I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण –**

| | | |
|---|---|---|
| i) | सीआईएन | U31909PN1990GOI058096 |
| ii) | पंजीकरण की तारीख | 10 सितंबर 1990 |
| iii) | कंपनी का नाम | बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड |
| iv) | कंपनी का वर्ग/उप-वर्ग | कंपनी की शेयर पूँजी है |
| v) | पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे | ईएल-30, 'जे' ब्लॉक, एमआईडीसी, भोसरी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे-411 026<br>टेलीफ़ोन नं. 020-27130981/2/3 |
| vi) | क्या कंपनी सूचीबद्ध है | नहीं |
| vii) | पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट, यदि हैं, का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे | लागू नहीं |

**II. कंपनी के मुख्य कारोबारी कार्यकलाप –**

ऐसे सभी कारोबारी कार्यकलाप जो कंपनी के कुल विक्रयावर्त का 10% से अधिक का योगदान देते हैं, बताएँ जाएँ -

| क्र.सं. | मुख्य उत्पाद / सेवा का नाम और विवरण | उत्पाद / सेवा एनआईसी कोड | कंपनी के कुल विक्रयावर्त का % |
|---|---|---|---|
| 1 | इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूब | 3320 | 100.00% |

**III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी, एसोसिएट कंपनियों के विवरण –**

| क्र.सं. | कंपनी का नाम व पता | सीआईएन/जीएलएन | धारक / सहायक / एसोसिएट | धारित शेयरों का % | लागू धारा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | L32309KA1954GOI000787 | धारक | 100% | 2(46) |

## IV. शेयरधारण की प्रविधि (कुल ईक्विटी के प्रतिशत के रूप में ईक्विटी शेयर पूँजी के अलग-अलग विवरण)

### (i) वर्ग-वार शेयर धारण

| शेयरधारकों का वर्ग | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं. | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. | | | | वर्ष के दौरान % में बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीमैट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % | डीमैट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % | |
| **क. प्रवर्तक** | | | | | | | | | |
| **(1) भारतीय** | | | | | | | | | |
| क) व्यक्ति/एचयूएफ | | | | | | | | | |
| ख) केन्द्र सरकार | | | | | | | | | |
| ग) राज्य सरकार (सरकारें) | | | | | | | | | |
| घ) कार्पोरेट निकाय | - | 17,00,223 | 17,00,223 | 92.79 | - | 37,83,678 | 37,83,678 | 100.00 | 7.21 |
| ङ) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ | - | 13,2,000 | 13,2,000 | 7.21 | - | - | - | - | |
| च) अन्य कोई | - | | | | | | | | - |
| उप कुल (क) (1) | - | 18,32,223 | 18,32,223 | 100 | - | 37,83,678 | 37,83,678 | 100.00 | 7.21 |
| **(2) विदेशी** | | | | | | | | | |
| क) एनआरआई-व्यक्ति | | | | | | | | | |
| ख) अन्य-व्यक्ति | | | | | | | | | |
| ग) कार्पोरेट निकाय | | | | | | | | | |
| घ) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ | | | | | | | | | |
| ङ) अन्य कोई | | | | | | | | | |
| उप कुल (क) (2) | | | | | | | | | |
| **प्रवर्तक का कुल शेयरधारण (क) = [(क)(1)+(क)(2)]** | - | 18,32,223 | 18,32,223 | 100 | - | 37,83,678 | 37,83,678 | 100.00 | 19,51,455 |
| **ख. सरकारी शेयरधारण** | | | | | | | | | |
| 1. संस्थान | | | | | | | | | |
| क) म्युच्युअल फंड | | | | | | | | | |
| ख) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ | | | | | | | | | |
| ग) केन्द्र सरकार | | | | | | | | | |
| घ) राज्य सरकार (सरकारें) | | | | | | | | | |
| ङ) वेन्चर पब्लिक फंड | | | | | | | | | |
| च) बीमा कंपनियाँ | | | | | | | | | |
| छ) एफआईआई | | | | | | | | | |
| ज) विदेशी वेन्चर पूँजी | | | | | | | | | |
| झ) अन्य (बताएँ) | | | | | | | | | |
| **उप-कुल (ख)(1)** | | | | | | | | | |
| **2. संस्थान-इतर** | | | | | | | | | |
| क) कार्पोरेट निकाय | | | | | | | | | |
| i) भारतीय | | | | | | | | | |
| ii) समुद्रपार | | | | | | | | | |
| ख) व्यक्ति | | | | | | | | | |
| i) वैयक्तिक शेयरधारक जो रु. 1 लाख तक की नाममात्र की शेयर पूँजी रखते हैं | - | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| ii) वैयक्तिक शेयरधारक जो रु. 1 लाख से अधिक की नाममात्र की शेयर पूँजी रखते हैं | | | | | | | | | |
| ग) अन्य (बताएँ) | | | | | | | | | |
| **उप-कुल (ख)(2)** | - | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| **कुल सरकारी शेयरधारण (ख) = [(ख)(1)+(ख)(2)]** | - | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| ग. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर | | | | | | | | | |
| **कुल योग (क+ख+ग)** | - | **18,32,293** | **18,32,293** | **100** | - | **37,83,678** | **37,83,678** | **100** | **19,51,455** |

**(ii) प्रवर्तकों का शेयरधारण**

| क्र.सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण | | | वर्ष के अंत में शेयरधारण | | | वर्ष के दौरान शेयरधारण में बदलाव का % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में से गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का % | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में से गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का % | |
| 1 | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. | 17,00,223 | 92.79 | - | 37,83,678 | 100.00 | - | 7.21 |
| 2 | यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की निर्दिष्ट वचनबद्धता | 1,32,000 | 7.21 | - | - | - | - | -7.21 |
| | **कुल** | **18,32,223** | **100.00** | | **37,83,678** | **100.00** | - | - |

**(iii) प्रवर्तकों के शेयरधारण में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो तो कृपया बताएँ)**

| क्र.सं. | | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| | वर्ष के प्रारंभ में | 17,00,223 | 92.79 | 17,00,223 | 92.79 |
| | वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयर धारण में तारीख वार बढ़ोत्तरी / कमी, ऐसी बढ़ोत्तरी/कमी का कारण बताएँ (जैसे आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट ईक्विटी आदि) | - | - | | |
| | 21/7/2015, अंतरण | **-** | **-** | **70** | |
| | 30/7/2015, अंतरण | **-** | **-** | **1,32,000** | |
| | 13/10/2015, राइट इश्यू | **-** | **-** | **16,67,707** | |
| | 16/11/2015, राइट इश्यू | **-** | **-** | **2,11,139** | |
| | 18/02/2016, राइट इश्यू | **-** | **-** | **72,539** | |
| | वर्ष के अंत में | **17,00,223** | **92.79** | **37,83,678** | **100** |

**(iv) सर्वोच्च दस शेयरधारकों की शेयरधारण प्रविधि (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अलावा)**

| क्र.सं. | सर्वोच्च दस शेयरधारकों के लिए | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण (01.04.2015) | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण (31.03.2016) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| | - कुछ नहीं - | | | | |

**(v) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण -**

| क्र.सं. | प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1 | **नाम – डॉ अजीत टी कलघट्गी** | | | | |
| | वर्ष के प्रारंभ में | **10** | **0.0005** | **10** | **0.0005** |
| | वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयर धारण में तारीख वार बढ़ोत्तरी / कमी, ऐसी बढ़ोत्तरी/कमी का कारण बताएँ (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) | - | - | - | - |
| | 21/07/2015 - अंतरण | | | (10) | **-0.0005** |
| | वर्ष के अंत में | **10** | **0.0005** | **-** | **-** |

| क्र.सं. | प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 2 | **नाम – श्री एस एस कुलकर्णी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी** | | | | |
| | वर्ष के प्रारंभ में | **10** | **0.0005** | **10** | **0.0005** |
| | वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयर धारण में तारीख वार बढ़ोत्तरी / कमी, ऐसी बढ़ोत्तरी/कमी का कारण बताएँ (जैसे आबंटन /अंतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) | - | - | - | - |
| | 21/07/2015 - अंतरण | | | (10) | **-0.0005** |
| | वर्ष के अंत में | **10** | **0.0005** | - | - |

| क्र.सं. | प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 3 | **नाम – सुश्री प्रिया अय्यर, सीएफओ और कंपनी सचिव** | | | | |
| | वर्ष के प्रारंभ में | **10** | **0.0005** | **10** | **0.0005** |
| | वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयर धारण में तारीख वार बढ़ोत्तरी / कमी, ऐसी बढ़ोत्तरी/कमी का कारण बताएँ (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) | - | - | - | - |
| | 21/07/2015 - अंतरण | | | (10) | **-0.0005** |
| | वर्ष के अंत में | **10** | **0.0005** | - | - |

**ऋणग्रस्तता**

**V. कंपनी की ऋणग्रस्तता, बकाया ब्याज/ प्रोद्भूत ब्याज जो भुगतान के लिए देय नहीं है, सहित**

| | जमाराशि को छोड़कर प्रतिभूत ऋण | अप्रतिभूत ऋण | जमाराशियाँ | कुल ऋणग्रस्तता (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता** | | | | |
| i) मूलधन | **2,472.87** | **-** | **-** | **2,473** |
| ii) ब्याज देय परन्तु अदा नहीं की गई | **-** | **-** | **-** | **-** |
| iii) ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं | **4.81** | **-** | **-** | **5** |
| **कुल (i+ii+iii)** | **2,477.68** | **-** | **-** | **2,478** |
| **वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन** | | | | |
| * परिवर्धन | **7,838.53** | **-** | **-** | **7,838.53** |
| * घटौती | **2,472.87** | **-** | **-** | **2,472.87** |
| **निवल परिवर्तन** | **5,365.66** | **-** | **-** | **5,365.66** |
| **वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता** | | | | |
| i) मूलधन | **7,838.53** | **-** | **-** | **7,838.53** |
| ii) ब्याज देय परन्तु अदा नहीं की गई | **-** | **-** | **-** | **-** |
| iii) ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं | **98.55** | **-** | **-** | **98.55** |
| **कुल (i+ii+iii)** | **7,937.08** | | | **7,937.08** |

**VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक**

**क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा / या प्रबंधक का पारिश्रमिक –**

| क्र. सं. | पारिश्रमिक के विवरण | एमडी/डबल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सकल वेतन | | | |
| | (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 2 | स्टॉक का विकल्प | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 3 | स्वेट ईक्विटी | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 4 | कमीशन | | | |
| | - लाभ के % के रूप में | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | - अन्य, बताएँ | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 5 | अन्य, कृपया बताएँ | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | **कुल (क)** | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

**ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक –**

| क्र.सं. | पारिश्रमिक के विवरण | निदेशक का नाम | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **स्वतंत्र निदेशक** | | | |
| | मंडल/समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | कमीशन | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | अन्य, कृपया बताएँ | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | **कुल (ख) (1)** | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 2 | **अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक** | | | |
| | मंडल/समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | कमीशन | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | अन्य, कृपया बताएँ | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | **कुल (ख) (2)** | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | **कुल (ख) = (ख)(1)+ (ख)(2)** | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

**ग. एमडी/प्रबंधक/डबल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक**

| क्र.सं. | पारिश्रमिक के विवरण | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | |
|---|---|---|---|
| | | **सीईओ** | **कंपनी सचिव एवं सीएफओ** |
| **1** | सकल वेतन | | |
| | (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन | 14,90,247 | 4,41,199 |
| | (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य | 1,40,449 | 11,340 |
| | (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ | - | - |
| **2** | स्टॉक का विकल्प | - | - |
| **3** | स्वेट ईक्विटी | - | - |
| **4** | कमीशन | | |
| | - लाभ के % के रूप में | - | - |
| | - अन्य, बताएँ | - | - |
| **5** | अन्य, कृपया बताएँ | | |
| | सेवानिवृत्ति अनुलाभ | 4,89,531 | 1,68,053 |
| | **कुल (क)** | **26,41,572** | **8,37,756** |

**VII. जुर्माना / दंड / अपराध संयोजन**

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | जुर्माना/दंड /अधिरोपित संयोजन शुल्क के ब्यौरे | प्राधिकारी [आरडी / एनसीएलटी /न्यायालय] | की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरे दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| **क. कंपनी** | | | | | |
| जुर्माना | **कोई नहीं** | | | | |
| दंड | | | | | |
| अपराध संयोजन | | | | | |
| **ख. निदेशक** | | | | | |
| जुर्माना | **कोई नहीं** | | | | |
| दंड | | | | | |
| अपराध संयोजन | | | | | |
| **ग. अन्य दोषी अधिकारी** | | | | | |
| जुर्माना | **कोई नहीं** | | | | |
| दंड | | | | | |
| अपराध संयोजन | | | | | |

**मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 6**

**ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार प्रकट की जाने वाली सूचना**

## क. ऊर्जा संरक्षण

### i) वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए ऊर्जा संरक्षण के उपाय

क्लीन रूम के भीतर तापमान और आर्द्रता को प्रभावित किए बिना, वातानुकूलन प्रणाली के एएचयू में संस्थापित हीटरों के स्वचालित कटआफ हेतु वातानुकूलन प्रणाली में बदलाव किया गया।

### ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपाय

ग्रिड कनेक्ट रूफ टॉप सोलर पीवी संयंत्र के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया और इसका प्रस्ताव विचाराधीन है।

### iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजीगत निवेश

वर्ष के दौरान कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर कोई निवेश नहीं किया है।

## ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण

### i) प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन तथा नवोन्मेष की ओर किए गए प्रयास, संक्षेप में

- वर्ष के दौरान एक्स-आर-5 ट्यूब निर्मित करने पर टीओटी परियोजना शुरु की गई। अतिरिक्त क्लीन रूम की संस्थापना तथा एक्सआर-5 ट्यूबों की अवसंरचना के लिए विस्तृत योजना को टीओटी प्रदाता के साथ अंतिम रूप दिया गया है और कार्यान्वयन की कार्रवाई शुरु की गई।

- विद्यमान विनिर्माण तथा जाँच उपकरणों का कोटि उन्नयन ताकि उत्पादकता, प्रक्रम निरंतरता और प्रक्रम डेटा प्राप्ति मे सुधार हो।

- एक्सडी 4 निष्पादन वाले आई.आई.ट्यूबों के निर्माण व जाँच डेटा की लॉग्गिंग और विश्लेषण के लिए डेटाबेस साफ्टवेयर की डिज़ाइन।

### ii) उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुलाभ

- ग्राहकों को उच्च निष्पादन वाले आई.आई. ट्यूबों, ट्यूब एक्सआर-5 सुपुर्द करने के लिए स्वदेशी निर्माण प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन का प्रारंभ ।

- बेहतर उत्पादकता, प्रक्रम स्थिरता और प्रोसेस डेटा ट्रेसेबिलिटी के लिए अवसंरचना का कोटि उन्नयन जिससे समग्र ग्राहक तुष्टिकरण परिणामित हुआ ।

**iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी संबंधी सूचना**

भारतीय थलसेना द्वारा अधिक वर्धित निष्पादन वाले ट्यूबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कंपनी ने मई 2014 के दौरान एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने के लिए मे. फोटोनिस फ्रांस एसएएस, फ्रांस तथा उसकी संबद्ध कंपनी मे. इमेजिंग सेन्सर्स इंटरनेशनल, फ्रांस के साथ एक टीओटी करार किया है । एक्सआर-5 परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ।

**iv) अनु. व वि. पर खर्च**

कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान लगभग ₹ 28 लाख का खर्च किया ।

**ग. विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय**

भारत सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत आवेदन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय संबंधी कोई प्रकटण नहीं किया गया ।

**उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ -**

**क. लेखांकन का आधार -**

वित्तीय विवरण यहाँ जो बताया गया है, उसे छोड़कर, लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं । जीएएपी में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान, जहाँ तक लागू हैं, आज्ञापक लेखा मानक (एएस) [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014] के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अधिसूचित] शामिल हैं ।

**ख. प्राक्कलनों का उपयोग -**

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस बात की आवश्यकता होती है कि प्रबंधन इस प्रकार के प्राक्कलन और मान्यताएँ करे जो वित्तीय कथनों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं, आकस्मिक देयताओं के प्रकटण तथा रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्ययों की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं । यद्यपि ऐसे प्राक्कलन सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण तथा दूरदर्शी आधार पर किए गए हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं और ऐसे अंतरों को उस अवधि में अभिचिह्नित किया गया है जिसमें परिणाम अभिनिश्चित किए गए हैं ।

**ग. राजस्व का अभिचिह्नन-**

i) विक्रय को ठेका के निबंधनों की समाप्ति पर तथा ग्राहकों के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किए जाने पर तथा जब माल ग्राहक को या ग्राहक को आगे की सुपुर्दगकी करने के लिए वाहकों को सुपुर्द किए जाते हैं, अभिचिह्नित किया जाता है । एफओआर गंतव्य स्थान के ठेकों के मामले में, विक्रय को अभिचिह्नित किया जाता है, यदि इस बात की उचित अपेक्षा हो कि माल लेखा अवधि के भीतर गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएँगे ।
ii) विक्रय में विक्रय कर /मूल्य योजित कर (वीएटी) शामिल नहीं है और उत्पाद शुल्क शामिल हैं ।
iii) सेवाओं से आय को सेवाओं की समाप्ति पर अभिचिह्नित किया जाता है ।
iv) अन्य आय को प्रोद्भूत आधार पर अभिचिह्नित किया जाता है ।

**घ. वस्तुसूची मूल्यांकन -**

i) कच्चे माल, भंडार एवं पुर्जे तथा मार्गस्थ माल का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है तथा माल की लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया गया है ।
ii) चालू कार्य का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है । लागत में सामग्री की लागत और यथा लागू, रूपांतरण की लागत शामिल हैं ।
iii) तैयार माल का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है ।

**ङ. मूल्यह्रास/ परिशोधन –**

i) मूर्त मूल्यह्रास करने योग्य अचल परिसंपत्तियो का मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर सामान्यत: ऐसी दरों पर (अथवा प्रकट किए गए अनुसार उच्चतर दरों पर) तथा इस प्रकार किया जाता है जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित है ।

ii) पट्टाधारित भूमि की लागत पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है ।

iii) अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर दस वर्षों की अवधि के दौरान किया जाता है ।

iv) यथानुपातित मूल्यह्रास / परिशोधन को उस तारीख से / तक प्रभारित किया जाता है जिस पर परिसंपत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है / हटा या विनष्ट कर दिया जाता है ।

**च. कर्मचारी अनुलाभ -**

i) कर्मचारियों के सभी अनुलाभ जो संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह प्रदेय होते हैं, को अल्पकालीन कर्मचारी अनुलाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनमें मुख्यत: निम्नलिखित अनुलाभ शामिल होते हैं -

क) मजदूरी और वेतन;

ख) अल्पकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ;

ग) प्रोत्साहन एवं बोनस जिनका मूल्य-निर्धारण बट्टारहित आधार पर किया जाता है और जिन्हें ऐसी अवधि के दौरान अभिचिह्नित किया जाता है जिसमें संबंधित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं ।

वार्षिक अवकाश जैसी दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियों के भुगतान के लिए वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्राक्कलित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य और तुलन-पत्र में शामिल प्रावधान के वहनीय मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसका प्रावधान किया जाता है ।

ii) कर्मचारी भविष्य निधि तथा पेंशन योजना की ओर निर्धारित अंशदान लागू दरों पर मासिक प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है । अधिवार्षिता योजना के प्रति अंशदान लागू दरों पर वार्षिक आधार पर किया जाता है।

iii) उपदान – कर्मचारियों को उपदान के भुगतान के लिए वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्राक्कलित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य तथा इस प्रयोजनार्थ स्थापित अनुमोदित न्यास में वित्त-पोषित योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है ।

**छ. आय कर -**

कर संबंधी व्यय जिनमें प्रचलित कर नियमों के तहत यथा निर्धारित आस्थगित कर पर विचार करने के बाद चालू कर शामिल है, का अभिचिह्नन अवधि के लिए लाभ व हानि खाते में किया जाता है ।

चालू कर आय कर की वह राशि है जो कर नियमों के तहत यथा परिकलित कर योग्य आय के संबंध में प्रदेय होती है ।

आय तथा व्यय की कुछेक मदों को उसी अवधि में कर वापसी तथा वित्तीय विवरणों में विचार में नहीं लिया जाता है । इस समय अंतर की चालू अधिनियमित कर दरों पर परिकलित निवल कर के प्रभाव की रिपोर्ट आस्थगित आय कर परिसंपत्ति / देयता के रूप में की जाती है और एएस 22 – "आय पर कर के लिए लेखा" के अनुसार अवधि के लाभ व हानि खाते में इसे अभिचिह्नित किया जाता है ।

**ज. पूर्वावधि समायोजन अति-सामान्य मदें एवं असाधारण मदें -**

पूर्वावधि समायोजन, अति-सामान्य मदें और असाधारण में जिनका कंपनी के वित्तीय कार्यकलापों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, वित्तीय विवरणों में प्रकट के जाते हैं ।

**झ. विदेशी मुद्रा के लेन-देन -**

विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देनों को संबंधित लेन-देनों की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दरों का प्रयोग करते हुए दर्ज किया जाता है । यथा तुलन-पत्र की तारीख को विदेशी मुद्राओं में अंकित मूल्य की मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को अवधि-समाप्ति दरों पर रूपांतरित किया जाता है । अवधि के दौरान के लेन-देनों के निपटान से तथा अवधि के अंत में किए गए लेन-देनों से सृजित परिणामी विनिमय अंतर, सिवाय उनके जो भारत के बार किसी स्थान से अचल परिसंपत्तियों से संबंधित हैं और 31.03.2007 तक के है, का अभिचिह्नन लाभ व हानि खाते में किया जाता है । विनिमय अंतर जो अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित हैं, 31.03.2007 तक अचल परिसंपत्तियों की वहनीय लागत में समायोजित किए गए ।

अगाऊ विनिमय ठेके के प्रारंभ में सृजित प्रीमियम या बट्टे का परिशोधन ठेके के जीवनकाल के दौरान आय / व्यय के रूप में किया जाता है ।

अंतिम रिपोर्टिंग तारीख पर दर / अवधि के दौरान ठेका करने के समय की दर तथा निपटान की तारीख पर दर के बीच अगाऊ विनियम ठेके की राशि पर विनिमय दर अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि जिसमें विनियम दरें बदलती हैं, में लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित किया जाता है । ठेका करने के समय प्रचलित दरों से सृजित विनियम अंतर तथा रिपोर्टिंग तारीख को भी प्रोद्भूत किया जाता है और लाभ व हानि खाते में समायोजित किया जाता है ।

अगाऊ विनिमय ठेके को निरस्त करने या नवीकृत करने से उत्पन्न लाभ या हानि को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है जब उसे रद्द या नवीकृत किया जाता है ।

**ञ. उधार संबंधी लागतें -**

अचल परिसंपत्तियो के अधिग्रहण, निर्माण तथा फेब्रिकेशन के कारण आरोप्य निधियों की विशिष्ट उधार के लिए उपगत ब्याज एवं अन्य व्ययों सहित उधार संबंधी लागतों को उन्हें प्रयोग में लाए जाने तक अचल परिसंपत्तियों की लागत के रूप में पूँजीकृत किया जाता है ।

**ट. अचल परिसंपत्तियाँ, पूँजीगत चालू कार्य तथा विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ -**

**क) मूर्त अचल परिसंपत्तियाँ**

मूर्त अचल परिसंपत्तियों को जहाँ सरकारी अनुदान से पूर्ण या आंशिक रूप से अर्जित किया गया है, उसके सहित उसकी लागत में संचित मूल्यह्रास / परिशोधन को घटाकर दर्शाया जाता है । इस प्रयोजनार्थ लागत में परिसंपत्ति को उसके स्थान और स्थिति में लाने की लागत, कंप्यूटर साफ्टवेयर जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा है, की लागत शामिल है और साथ ही अधिग्रहण / निर्माण अवस्था के दौरान उधार संबंधी लागतें भी शामिल हैं यदि वह अर्हताप्राप्त परिसंपत्ति है जिसे आशयित प्रयोग में लाने के लिए तैयार करने में समुचित समय की आवश्यकता है । भारत से बाहर के स्थान से अर्जित अचल परिसंपत्ति की लागत में विनिमय के उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, शामिल हैं जो 31.03.2007 तक उसके अधिग्रहण के लिए उपगत विदेशी मुद्रा में देयताओं के संबंध में उत्पन्न हुए हैं ।

**ख) पूँजीगत चालू कार्य**

पूँजीगत चालू कार्य में आपूर्ति-सह-निर्माण ठेके, स्थल पर प्राप्त पूँजीगत आपूर्तियों का मूल्य तथा स्वीकृत पूँजीगत मार्गस्थ माल जो निरीक्षण के अंतर्गत हैं तथा ऐसी अचल परिसंपत्तियाँ जो तुलन-पत्र की तारीख पर आशयित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, की लागत शामिल हैं ।

**ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ**

भविष्य में उल्लेखनीय आर्थिक अनुलाभ में परिणामित होने वाली प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए अर्जित लाइसेंस के शुल्क की लागत को उसे प्रयोग हेतु तैयार होने पर लेखा बहियों में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है । ऐसी अमूर्त परिसंपत्तियाँ जो तुलन-पत्र की तारीख में आशयित प्रयोग किए जाने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

**ठ. तकनीकी सहायता -**

तकनीकी सहायता पर उपगत राजस्व व्यय को घटित होने पर लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है ।

**ड. निवेश -**

i) दीर्घकालीन निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है । यदि निवेशों के मूल्य में स्थाई कमी होती है तो लेखों में इसका प्रावधान किया जाता है ।

ii) अल्पकालीन निवेशों को निम्नतर लागत पर या बाज़ार मूल्य/उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है ।

**ढ. परिसंपत्तियों की अनर्जकता -**

कंपनी [नकद उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू)] के संदर्भ में परिसंपत्तियों की अनर्जकता का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है यदि आंतरिक या बाहरी कारकों के आधार पर परिस्थितियों में किसी प्रकार के परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहनीय मूल्य की पूरी वसूली नहीं की जा सकती । अनर्जकता के कारण कोई हानि, जो वहनीय राशि और वसूली-योग्य राशि के बीच का अंतर है, का तदनुसार लेखा किया जाता है । सीजीयू में वसूली योग्य राशि निवल विक्रय कीमत या प्रयोग में मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होती है । प्रयोग में मूल्य का परिकलन कंपनी की कर उधार-पूर्व दर पर बट्टागत प्राक्कलित भावी नकदी प्राप्तियों के आधार पर होता है ।

**ण. सरकारी अनुदान -**

सरकार से प्राप्त सभी अनुदान को प्रारंभिक रूप से आस्थगित आय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है ।

अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय में रखी राशि को अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए सरकारी अनुदान की आरोप्य सीमा तक संबंधित परसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के अनुपात में लभ व हानि खाते के जमा पक्ष में अंतरित किया जाता है ।

राजस्व व्ययों के कारण आस्थगित आय में रखी राशि को प्राप्त अनुदान की सीमा तक, कुल स्वीकृत लागत के लिए वित्त-पोषण के अनुपात में उपगत व्यय की सीमा तक लाभ व हानि खाते के जमा पक्ष में अंतरित किया जाता है ।

प्रवर्तकों के अंशदान की प्रकृति के अनुदानों को पूँजीगत प्रारक्षण में जमा किया जाता है ।

**त. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान -**

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान सामान्यत: दो वर्षों से अधिक समय तक बकाया ऋणों के लिए किया जाता है सिवाय ऐसे ऋणों के, जो ठेके की शर्तों के कारण ठेकाजन्य रूप से देय नहीं है या जिन्हें मामला-दर-मामला समीक्षा के आधार पर वसूली-योग्य माना गया है ।

**थ. नकदी प्राप्ति विवरण -**

नकदी प्राप्ति विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नकदी प्राप्त विवरणों पर लेखा मानक-3 में वर्णित परोक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है ।

**द. वारंटियों के लिए प्रावधान -**

कार्य-निष्दान गारंटी तथा बेचे गए माल के प्रतिस्थापन / मरम्मत के कारण हुए व्यय का प्रावधान प्रवृत्ति आधारित प्राक्कलनों के आधार पर किया जाता है ।

**ध. प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएँ -**

विगत घटना जहाँ प्रबंधन इस बात की संभावित मानता है कि देयता उपगत हो सकती है, के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली हानियों और आकस्मिक खर्चों के प्रावधान तुलन-पत्र की तारीख पर वर्तमान देयता के लिए आवश्यक खर्च के सर्वोत्तम विश्वसनीय प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है और इन्हें उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टागत नहीं किया जाता । प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम प्राक्कलन दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है ।

जहाँ तक प्रबंधन की जानकारी है, आकस्मिक देयताओं का प्रकटण लेखों की टिप्पणियों के ज़रिए किया जाता है।

**न. अनुसंधान एवं विकास खर्च –**

1) अनुसंधान एवं विकास खर्च (विशिष्ट विकास-सह-विक्रय ठेकों के अलावा) उपगत होने पर व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है । विकास-सह-विक्रय ठेकों पर अनु. व वि. व्यय को अन्य विक्रय ठेकों के समतुल्य माना जाता है ।
2) अचल परिसंपत्तियों पर अनु. व वि. व्यय को पूँजीकृत किया जाता है ।

**हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

| | | |
|---|---|---|
| एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स | हस्त/- | हस्त/- |
| सनदी लेखाकार | सुनील कुमार शर्मा | एम.एल. षणमुख |
| फर्म पंजी. सं. 112479डबल्यू | अध्यक्ष | निदेशक |
| हस्त/- | हस्त/- | हस्त/- |
| एम.के. गावस्कर | अजीत टी. कलघट्गी | प्रभात आर. आचार्या |
| साझेदार | निदेशक | निदेशक |
| सदस्यता सं. 037573 | | |
| | हस्त/- | हस्त/- |
| | एस.एस. कुलकर्णी | प्रिया एस. अय्यर |
| | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | कंपनी सचिव एवं सीएफओ |
| स्थान – पुणे | स्थान – बेंगलूरु | |
| दिनांक – 19 मई 2016 | दिनांक – 19 मई 2016 | |

**बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड**
**यथा 31 मार्च, 2016 को तुलन-पत्र**

राशि ₹ में

| क्र.सं. | विवरण | टिप्पणी सं. | यथा 31 मार्च, 2016 को | यथा 31 मार्च, 2015 को |
|---|---|---|---|---|
| I | **साम्या एवं देयताएँ** | | | |
| (1) | **शेयरधारकों की निधियाँ** | | | |
| | (क) शेयर पूँजी | 1 | 37,83,67,800 | 18,32,29,300 |
| | (ख) प्रारक्षण एवं अधिशेष | 2 | 67,61,74,328 | 39,82,16,843 |
| | | | **1,05,45,42,128** | **58,14,46,143** |
| (2) | **अनुदान** | 3 | **1,71,12,95,458** | **1,91,87,42,983** |
| (3) | **गैर-चालू देयताएँ** | | | |
| | (क) आस्थगित कर देयताएँ (निवल) | 4 | 2,15,35,423 | 70,43,038 |
| | (ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ | 5 | 11,51,270 | 2,26,972 |
| | (ग) दीर्घकालीन प्रावधान | 6 | 85,72,032 | 72,72,933 |
| (4) | **चालू देयताएँ** | | **3,12,58,725** | **1,45,42,943** |
| | (क) अल्पकालीन उधार | 7 | 78,38,53,339 | 24,72,86,912 |
| | (ख) व्यापार प्रदेय | 8 | 8,40,87,202 | 42,09,78,909 |
| | (ग) अन्य चालू देयताएँ | 9 | 4,02,36,440 | 13,83,14,686 |
| | (घ) अल्पकालीन प्रावधान | 10 | 8,51,13,414 | 8,51,67,657 |
| | | | **99,32,90,395** | **89,17,48,164** |
| | **कुल** | | **3,79,03,86,706** | **3,40,64,80,233** |
| II | परिसंपत्तियाँ | | | |
| (1) | **गैर-चालू परिसंपत्तियाँ** | | | |
| | (क) अचल परिसंपत्तियाँ | | | |
| | (i) मूर्त परिसंपत्तियाँ | 11 | 83,10,08,138 | 89,53,26,868 |
| | (ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ | 12 | 1,65,34,12,692 | 1,84,25,97,541 |
| | (iv) पूँजीगत चालू कार्य | 13 | 7,75,792 | 17,33,014 |
| | (v) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ | 14 | - | - |
| | | | **2,48,51,96,622** | **2,73,96,57,423** |
| | (ख) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम | 15 | 1,37,33,953 | 84,56,477 |
| | (ग) नकद एवं बैंक शेष | 16 | 38,43,26,880 | 8,87,89,297 |
| (2) | **चालू परिसंपत्तियाँ** | | **39,80,60,833** | **9,72,45,774** |
| | (क) वस्तुसूचियाँ | 17 | 26,05,17,204 | 31,87,75,358 |
| | (ख) व्यापार से प्राप्तियाँ | 18 | 17,57,41,842 | 11,52,68,394 |
| | (ग) नकद एवं बैंक शेष | 19 | 32,90,57,826 | 9,05,14,409 |
| | (घ) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम | 20 | 12,80,00,478 | 3,02,94,635 |
| | (ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | 21 | 1,38,11,901 | 1,47,24,240 |
| | | | **90,71,29,251** | **56,95,77,036** |
| | **कुल** | | **3,79,03,86,706** | **3,40,64,80,233** |

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1 से 31) देखें

**हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

| | | |
|---|---|---|
| एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स | हस्त/- | हस्त/- |
| सनदी लेखाकार | सुनील कुमार शर्मा | एम.एल. षणमुख |
| फर्म पंजी. सं. 112479डबल्यू | अध्यक्ष | निदेशक |
| हस्त/- | हस्त/- | हस्त/- |
| एम.के. गावस्कर | अजीत टी. कलघट्गी | प्रभात आर. आचार्या |
| साझेदार | निदेशक | निदेशक |
| सदस्यता सं. 037573 | | |
| | हस्त/- | हस्त/- |
| | एस.एस. कुलकर्णी | प्रिया एस. अय्यर |
| | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | कंपनी सचिव एवं सीएफओ |
| स्थान – पुणे | स्थान – बेंगलूरु | |
| दिनांक – 19 मई 2016 | दिनांक – 19 मई 2016 | |

**बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड**
**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण**

**राशि ₹ में**

| क्र.सं. | विवरण | टिप्पणी सं. | 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| I | **प्रचालनों से आय –** विक्रयावर्त | | | |
| | (क) उत्पादों की बिक्री | | 1,06,10,46,987 | 1,02,19,05,609 |
| | (ख) सेवाओं की बिक्री | | 53,08,070 | 45,87,527 |
| | (ग) सकल बिक्री (क+ख) | | 1,06,63,55,057 | 1,02,64,93,136 |
| | (घ) उत्पाद शुल्क | | 7,95,84,223 | 32,18,358 |
| | (ङ) निवल विक्रयावर्त (ग-घ) | | 98,67,70,834 | 1,02,32,74,778 |
| II | **अन्य आय** | 22 | 2,08,90,590 | 21,50,36,858 |
| III | **अनुदान का अंतरण** | | | |
| | (क) टीपीडीयूपी | | 8,11,891 | 8,52,827 |
| | (ख) टीओटी एक्सडी-4 | 31 | 20,66,35,634 | 25,78,96,889 |
| | **कुल (क) + (ख)** | | **20,74,47,525,** | **25,87,49,716** |
| IV | **कुल राजस्व (I+II+III)** | | **1,21,51,08,949** | **1,49,70,61,352** |
| V | **व्यय-** | | | |
| | (क) खपत सामग्री की लागत | 23 | 59,90,82,036 | 98,76,58,738 |
| | (ख) खपत स्टोर्स और पुर्जों की लागत | 23 | 1,26,52,159 | 93,06,899 |
| | (ग) प्रक्रम स्टॉक एवं तैयार माल में परिवर्तन | 24 | 1,35,84,711 | (4,86,49,433) |
| | (घ) कर्मचारी अनुलाभ व्यय | 25 | 8,79,98,829 | 7,46,45,550 |
| | (ङ) वित्त लागतें | 26 | 3,99,01,546 | 1,21,75,378 |
| | (च) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय | 11 व 12 | 26,10,90,410 | 8,75,52,708 |
| | (छ) तकनीकी सहायता शुल्क एवं यात्रा खर्चे | 27 | - | 19,48,52,360 |
| | (ज) अन्य व्यय | 28 | 15,63,52,590 | 12,51,93,828 |
| | **कुल व्यय (क से ज)** | | **1,17,06,62,281** | **1,44,27,36,028** |
| VI | असाधारण, अति-सामान्य मदों व कर से पूर्व लाभ(IV-V) | | **4,44,46,668** | **5,43,25,324** |
| VII | असाधारण मदें | | - | - |
| VIII | असाधारण मदों व कर पूर्व लाभ (VI-VII) | | 4,44,46,668 | 5,43,25,324 |
| IX | असाधारण मदें | | - | - |
| X | वर्ष का लाभ (VIII-IX) | | 4,44,46,668 | 5,43,25,324 |
| XI | पूर्वावधि मदें (निवल) | 29 | (10,77,095) | 1,53,552 |
| XII | **कर से पहले अवधि का लाभ (X-XI)** | | **4,55,23,763** | **5,41,71,772** |
| XIII | **कर व्यय –** | | | |
| | (क) चालू कर (एमएटी) | | 72,83,102 | 1,36,18,942 |
| | (ख) एमएटी क्रेडिट हकदारिता | | (5,29,157) | (26,68,261) |
| | (ग) निवल चालू वर्ष का कर (क-ख) | | 67,53,945 | 1,09,50,681 |
| | (घ) आस्थगित कर | | 1,44,92,383 | 65,51,879 |
| | **कराधान के लिए कुल प्रावधान (ग+घ)** | | **2,12,46,328** | **1,75,02,560** |
| XIV | **अवधि का लाभ (XII-XIII)** | | **2,42,77,435** | **3,66,69,212** |
| XV | **प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन –** | | 9.37 | 20.01 |
| | (1) मूल (रुपए में) | 30 | 9.37 | 20.01 |
| | (2) परिवर्तित (रुपए में) | | | |

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1 से 31) देखें

**हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 112479डबल्यू

हस्त/-
एम.के. गावस्कर
साझेदार
सदस्यता सं. 037573

स्थान – पुणे
दिनांक – 19 मई 2016

हस्त/-
सुनील कुमार शर्मा
अध्यक्ष

हस्त/-
अजीत टी. कलघट्गी
निदेशक

हस्त/-
एस.एस. कुलकर्णी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

स्थान – बेंगलूरु
दिनांक – 19 मई 2016

हस्त/-
एम.एल. षणमुख
निदेशक

हस्त/-
प्रभात आर. आचार्या
निदेशक

हस्त/-
प्रिया एस. अय्यर
कंपनी सचिव एवं सीएफओ

**टिप्पणी 1 – शेयर पूँजी**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ |
|---|---|---|
| **प्राधिकृत पूँजी –** ₹ 100/- प्रत्येक के 1,00,00,000 (पिछली अवधि – 35,00,000) ईक्विटी शेयर | **1,00,00,00,000** | **35,00,00,000** |
| **जारी पूँजी –** ₹ 100/- प्रत्येक के 37,83,678 (पिछली अवधि – 19,74,370) ईक्विटी शेयर | **37,83,67,800** | **19,74,37,000** |
| **अभिदत्त एवं चुकता पूँजी –** पूर्ण चुकता ₹ 100/- प्रत्येक के 37,83,678 (पिछली अवधि – 18,32,293) ईक्विटी शेयर | **37,83,67,800** | **18,32,29,300** |

| वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान | यथा 31 मार्च, 2016 को | | यथा 31 मार्च, 2015 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की सं. | राशि ₹ | शेयरों की सं. | राशि ₹ |
| वर्ष के प्रारंभ में बकाया ईक्विटी शेयरों की सं. | **18,32,293** | **18,32,29,300** | **18,32,293** | **18,32,29300** |
| जोड़ें – वर्ष के दौरान जारी अतिरिक्त ईक्विटी शेयर | **19,51,385** | **19,51,38,500** | - | - |
| घटाएँ – वर्ष के दौरान समपहृत/पुन: खरीदे गए ईक्विटी शेयर | - | - | - | - |
| वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की सं. | **37,83,678** | **37,83,67,800** | **18,32,293** | **18,32,29,300** |

**टिप्पणियाँ –**

1. उपर्युक्त में से, ₹ 100/- प्रत्येक के 37,83,678 (पिछली अवधि – 17,00,223) ईक्विटी शेयर धारक कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) द्वारा धारित किए जाते हैं ।

2. कंपनी में 5% शेयरों से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या के विवरण इस प्रकार हैं –

| विवरण | 2015-16 | | 2014-15 | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की सं. | शेयरधारण का % | शेयरों की सं. | शेयरधारण का % |
| **ईक्विटी शेयर -** | | | | |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. | **37,83,678** | **100.00** | **17,00,223** | **92.79** |
| यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की विशिष्ट वचनबद्धता | - | - | **1,32,000** | **7.21** |

**टिप्पणी 2 – प्रारक्षण एवं अधिशेष**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ |
|---|---|---|
| **(क) प्रतिभूतियों का प्रीमियम** | 25,36,80,050 | - |
| **(ख) अधिशेष -** | | |
| पिछले तुलन-पत्र के अनुसार | 39,82,16,843 | 36,18,88,422 |
| *घटाएँ – मूल्यह्रास समायोजन | - | (3,40,791) |
| जोड़े – अवधि का लाभ /(हानि) | 2,42,77,435 | 3,66,69,212 |
| **कुल (क)+(ख)** | **67,61,74,328** | **39,82,16,843** |

**टिप्पणी 3 – अनुदान**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ |
|---|---|---|
| **अनुदान-** | | |
| **टीपीडीयूपी परियोजना** | | |
| पिछले तुलन-पत्र के अनुसार | 18,67,716 | 27,20,543 |
| घटाएँ – लाभ व हानि की अंतरित विवरणी | 8,11,891 | 8,52,827 |
| **उप कुल (1)** | **10,55,825** | **18,67,716** |
| **टीओटी** | | |
| **पिछले तुलन-पत्र के अनुसार** | 1,91,68,75,267 | 2,07,95,47,196 |
| जोड़ें – वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | - | 9,52,24,960 |
| **घटाएँ – वर्ष के दौरान लाभ व हानि की अंतरित विवरणी** | 20,66,35,634 | 25,78,96,889 |
| **उप कुल (2)** | **1,71,02,39,633** | **1,91,68,75,267** |
| **कुल (1+2)** | **1,71,12,95,458** | **1,91,87,42,983** |

बेलॉप ने उच्चतर विनिर्देशों के आई.आई. ट्यूबों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु मे. फोटोनिस, फ्रांस के साथ एक करार किया है और टीओटी की लागत का 84.76% का वित्त-पोषण अनुदान के माध्यम से किया गया है । तदनुसार, टीओटी की ओर वर्ष 2015-16 में उपगत 84.76% व्ययों को लाभ व हानि के विवरण के आय पक्ष में अंतरित किया गया । यथा 31.03.2016 को बेलॉप ने ₹249.75 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया है और अभी ₹ 5.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया जाना है ।

**टिप्पणी 4 – (i) वर्षांत में आस्थगित कर देयता के अलग-अलग आंकड़े**

| समय अंतर की प्रकृति | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ |
|---|---|---|
| मूल्यह्रास व परिशोधन का प्रावधान | 4,32,77,096 | 2,58,22,919 |
| **कुल** | **4,32,77,096** | **2,58,22,919** |

**(ii) वर्षांत में आस्थगित कर परिसंपत्ति के अलग-अलग आंकड़े**

| समय अंतर की प्रकृति | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ |
|---|---|---|
| छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान | 34,80,050 | 28,89,320 |
| वारंटियों का प्रावधान | 52,28,905 | 84,96,704 |
| संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों का प्रावधान | 1,16,84,494 | 21,28,254 |
| अप्रचलित स्टोर का प्रावधान | - | 52,65,603 |
| उत्पाद शुल्क का प्रावधान | 13,48,224 | - |
| **कुल** | **2,17,41,673** | **1,87,79,881** |
| **(iii) आस्थगित कर (परिसंपत्ति)/देयता, निवल – (i-ii)** | **2,15,35,423** | **70,43,038** |

**टिप्पणी 5 – अन्य दीर्घकालीन देयताएँ**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ |
|---|---|---|
| पूँजीगत खरीद की देयताएँ | 11,51,270 | 2,26,972 |
| **कुल** | **11,51,270** | **2,26,972** |

पूँजीगत खरीद की उपर्युक्त देयता में ₹ कुछ नहीं/- (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं) के का मार्गस्थ पूँजीगत माल शामिल है।

**टिप्पणी 6 –दीर्घकालीन प्रावधान**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ |
|---|---|---|
| दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ | 85,72,032 | 72,72,933 |
| **कुल** | **85,72,032** | **72,72,933** |

**टिप्पणी 7 –अल्पकालीन उधार**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ |
|---|---|---|
| **बैंकों से ऋण** | | |
| एसबीआई बायर्स क्रेडिट | 11,36,56,120 | 11,82,09,079 |
| एक्सिस बैंक बायर्स क्रेडिट | 17,01,97,219 | 12,90,77,833 |
| **संबंधित पक्षकार से ऋण** | | |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | 50,00,00,000 | - |
| **कुल** | **78,38,53,339** | **24,72,86,912** |

**लेखा मानक 15 (पुनरीक्षित)-कर्मचारी अनुलाभ द्वारा यथा अपेक्षित दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति योजना के विवरण इस प्रकार हैं –**

I) **छुट्टी का नकदीकरण**

कंपनी में छुट्टी नकदीकरण की योजना है जो वित्त-पोषण रहित योजना है।

इस योजना के अनुसार, कंपनी के सभी कर्मचारी प्रत्येक श्रेणी के लिए यथा निर्धारित न्यूनतम छुट्टी को प्रतिधारित करने की शर्त पर, अपनी संचित वार्षिक छुट्टी का नकदीकरण करने के हकदार हैं । नकदीकृत छुट्टी (मूल वेतन + डी.ए.)/30 प्रति दिन की दर से देय होती है ।

दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति जैसे वार्षिक छुट्टी के भुगतान की देयता का मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर यथा 31.03.2016 को ₹ 1,05,25,513/- है । बीमांकिक मूल्यांकन पीयूसी विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है ।

| विवरण | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
|---|---|---|
| सेवानिवृत्ति की आयु | 58 वर्ष | 58 वर्ष |
| संनिघर्षण दर | 2% | 2% |
| भावी वेतन वृद्धि | 5% | 5% |
| बट्टे की दर | 7.96% | 7.99% |
| मृत्युदर टेबल | भारतीय आश्वस्त व्यक्ति मृत्युदर (2006-08) | भारतीय आश्वस्त व्यक्ति मृत्युदर (2006-08) |

दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थितियों पर देयता की राशि को बीमांकिक की रिपोर्ट के आधार पर चालू तथा गैर-चालू के बीच विभाजित किया गया है ।

| | | |
|---|---|---|
| चालू देयता | ₹ | **19,53,481/-** |
| गैर-चालू देयता | ₹ | **85,72,032/-** |
| कुल | ₹ | **1,05,25,513/-** |

**टिप्पणी 8– व्यापार देय**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ |
|---|---|---|
| व्यापार प्रदेय<br>(क) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों से कुल बकाया देय, तथा | - | - |
| (ख) सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों से कुल बकाया देय | 8,40,87,202 | 42,09,78,909 |
| **कुल (क+ख)** | **8,40,87,202** | **42,09,78,909** |

**टिप्पणी**

i) यथा 31 मार्च 2016 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत यथा अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशियों संबंधी सूचना नीचे दी गई है ।

| क्र.सं. | विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|---|---|---|---|
| क | उस पर देय मूलधन और ब्याज जो यथा 31 मार्च को अदत्त बना हुआ है | - | - |
| ख | 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि के साथ-साथ कंपनी द्वारा अदा किया गया ब्याज<br>मूलधन<br>ब्याज | - | - |
| ग | विलंब की अवधि के लिए देय और प्रदेय ब्याज (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया लेकिन निर्धारित दिन के बाद) परंतु अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना | - | - |
| घ | 31 मार्च को समाप्त वर्ष में प्रोद्भूत तथा अदत्त ब्याज | - | - |
| ङ | अनुवर्ती वर्ष में भी देय तथा प्रदेय बना हुआ ब्याज जो उस तारीख तक ऐसा था जब उपर्युक्त देय ब्याज एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती व्यय के रूप में अनुमत न करने के प्रयोजनार्थ, लघु उद्यमों को वास्तव में अदा किया गया | - | - |

ii) उपर्युक्त सूचना ऐसे पूर्तिकर्ताओं के संबंध में इस सीमा तक दी गई है जहाँ तक उन्हें कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के रूप में अभिचिह्नित किया गया है ।

**टिप्पणी 9 - अन्य चालू देयताएँ**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ | |
|---|---|---|---|---|
| ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम क्रमिक भुगतान | | 3,251,401 | | 109,397,130 |
| **प्रदेय सांविधिक देय** | | | | |
| प्रदेय टीडीएस | 720,518 | | 379,727 | |
| प्रदेय विक्रय कर | 11,114,051 | | 13,558,001 | |
| प्रदेय सेवा कर | 57,914 | | - | |
| प्रदेय उत्पाद शुल्क | 4,077,742 | | 4,689,121 | |
| प्रदेय अन्य सांविधिक देय | 736,249 | 16,706,474 | 694,437 | 19,321,286 |
| **राजस्व प्राधिकारियों को प्रदेय ब्याज** | | | | |
| आयकर | 523,246 | | 1,006,052 | |
| उत्पाद शुल्क | 3,386,475 | 3,909,721 | 581,475 | 1,587,527 |
| बायर्स क्रेडिट पर प्रोद्भूत ब्याज | | 248,552 | | 481,836 |
| बीईएल से ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज | | 9,607,056 | | - |
| **प्रदेय जमा** | | | | |
| ईएमडी जमा | 278,840 | | 278,840 | |
| सुरक्षा जमा | 2,840,329 | 3,119,169 | 2,932,257 | 3,211,097 |
| अन्य प्रदेय | | 3,394,067 | | 4,315,810 |
| **कुल** | | **40,236,440** | | **138,314,686** |

**टिप्पणी 10 - अल्पकालीन प्रावधान**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ | |
|---|---|---|---|---|
| आयकर का प्रावधान (निवल अग्रिम कर) - (टिप्पणी 15 देखें) | | 6,704,735 | | 12,861,850 |
| वारंटी का प्रावधान | | 15,814,974 | | 26,188,023 |
| **कर्मचारी अनुलाभ का प्रावधान** | | | | |
| दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ | 1,953,481 | | 1,632,352 | |
| उपदान | 1,563,701 | | 2,757,279 | |
| वार्षिक प्रोत्साहन | 5,332,045 | | 3,954,558 | |
| वेतन पुनरीक्षण | 53,744,478 | 62,593,705 | 37,773,595 | 46,117,784 |
| **कुल** | | **85,113,414** | | **85,167,657** |

**प्रावधान आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों पर लेखा मानक द्वारा यथा अपेक्षित प्रावधानों के प्रत्येक वर्ग में प्रावधानों तथा संचलनों के ब्यौरे (लेखा मानक-29)**

I) **वारंटी के लिए प्रावधान**

| **विवरण** | **यथा 31 मार्च, 2016 को ₹** | **यथा 31 मार्च, 2015 को ₹** |
|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में वहनीय राशि | 26,188,023 | 13,452,488 |
| वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | - | 12,890,510 |
| वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि | 47,042 | 154,975 |
| वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित राशियाँ | 10,326,007 | - |
| वर्षांत में वहनीय राशियाँ | 15,814,974 | 26,188,023 |

**देयता की प्रकृति तथा आर्थिक अनुलाभों के किसी परिणामी बहिर्वाह के अपेक्षित समय का संक्षिप्त विवरण** –

1) **वारंटी का प्रावधान -**

वारंटी की लागतें पिछले अनुभवों के आधार पर, उत्पादों के विक्रय के समय प्रोद्भूत होती हैं । इसका प्रावधान विक्रय की तारीख से 24/48 महीनों की वारंटी अवधि में प्रभारित होता है ।

II) **दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ**

कृपया टिप्पणी सं. 6 का संदर्भ लें ।

III) **उपदान**

**लेखा मानक** 15 **(संशोधित) कर्मचारी अनुलाभ द्वारा यथा अपेक्षित कर्मचारियों के अनुलाभों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं** –

**(क) निर्धारित अंशदान योजना**

i) निर्धारित अंशदान योजना के संबंध में लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में अभिचिह्नित राशि ₹ 15,63,701/- (पिछले वर्ष ₹ 27,57,279/-) है ।

ii) उपदान पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर कर्मचारी को दिए जाने वाला अनुलाभ है ।

iii) उपदान वित्त-पोषित योजना है ।

राशि ₹ में

| **विवरण** | | **उपदान** | |
|---|---|---|---|
| **(ख)** | **निर्धारित देयताएँ जो उनके प्रारंभिक और अंतिम शेषों को दर्शाती है, के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं -** | **चालू वर्ष** | **पिछला वर्ष** |
| 1 | यथा 1 अप्रैल को निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य | 18,980,132 | 14,547,451 |
| 2 | चालू सेवा लागत | 1,061,296 | 803,726 |
| 3 | ब्याज की लागत | 1,516,513 | 1,357,277 |
| 4 | संक्षिप्तीकरण पर हानि (लाभ) | - | - |
| 5 | बंदोबस्त पर कम की गई देयताएँ | - | - |
| 6 | योजना संशोधन | - | - |
| 7 | देयताओं पर बीमांकक (लाभ)/हानि | 65,986 | 2,440,081 |
| 8 | देयताओं पर बीमांकक (लाभ)/हानि, अनुभव के कारण | 460,037 | (1,68,403) |
| 9 | अदा किए गए अनुलाभ | - | - |
| 10 | तुलन-पत्र की तारीख में निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य | 22,083,964 | 18,980,132 |

| **(ग) योजित परिसंपत्तियाँ, जो उनके प्रारंभिक और अंतिम शेषों को दर्शाती हैं, के उचित मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं -** | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | यथा 1 अप्रैल को योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 16,222,853 | 14,883,351 |
| 2 | योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति | 1,296,206 | 1,294,852 |
| 3 | योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकक लाभ या हानि | 243,925 | 44,650 |
| 4 | कर्मचारियों द्वारा वास्तविक योगदान | 2,757,279 | - |
| 5 | अदा किए गए अनुलाभ | - | - |
| 6 | 31 मार्च को योजित परिसंपत्तियाँ | 20,520,263 | 16,222,853 |

| **(घ) निर्धारित अनुलाभ देयता का विश्लेषण -** | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | यथा 1 अप्रैल को निर्धारित अनुलाभ देयता | (22,083,964) | (18,980,132) |
| 2 | वर्ष के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 20,520,263 | 16,222,853 |
| 3 | यथा 31 मार्च को तुलन-पत्र में अभिचिह्नित निवल (परिसंपत्ति) / देयता | 1,563,701 | 2,757,279 |

**III) उपदान**

**लेखा मानक 15 (संशोधित) द्वारा यथा अपेक्षित कर्मचारी अनुलाभों के ब्यौरे इस प्रकार हैं -**

राशि ₹ में

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(ङ)** | **तुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशि को दर्शाते हुए निर्धारित अनुलाभ देयता तथा योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के वर्तमान मूल्य का समाधान -** | | |
| 1 | निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य | (22,083,964) | (18,980,132) |
| 2 | योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 20,520,263 | 16,222,853 |
| 3 | वित्त-पोषण की स्थिति [अधिशेष/(कमी)] | (1,563,701) | (2,757,279) |
| 4 | अनभिचिह्नित विगत सेवा लागतें | - | - |
| 5 | **तुलन-पत्र में अभिचिह्नित निवल परिसंपत्ति/(देयता)** | (1,563,701) | (2,757,279) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(च)** | **31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित नियोक्ता के व्ययों के घटक -** | | |
| 1 | चालू सेवा लागत | 1,061,296 | 803,726 |
| 2 | ब्याज लागत | 1,516,513 | 1,021,377 |
| 3 | योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति | (1,296,206) | (1,294,852) |
| 4 | संक्षिप्तीकरण लागत/(क्रेडिट) | - | - |
| 5 | निपटान लागत/(क्रेडिट) | - | - |
| 6 | विगत सेवा लागत | - | - |
| 7 | अभिचिह्नित की जाने वाली बीमांकक हानियाँ/(लाभ) | 282,098 | 2,227,028 |
| 8 | **उपदान निधि के प्रति योगदान के तहत लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित कुल व्यय** | 1,563,701 | 2,757,279 |

**(छ) उपदान तथा अधिवार्षिता से संबंधित वित्त-पोषित अनुलाभों के संबंध में, योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य "बीमाकर्ता व्यवस्थित निधि" के माध्यम से निवेश की गई राशियों को दर्शाता है**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(ज)** | **बीमांकक की प्रमुख मान्यताएँ -** | | |
| 1 | बट्टे की दर (%) | 7.96% | 7.99% |
| 2 | योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति (%) | 7.96% | 7.99% |
| 3 | वेतन बढ़ोत्तरी (%) | 5.00% | 5.00% |
| 4 | चिकित्सा लागत बढ़ोत्तरी (%) | 0.00% | 0.00% |

क) बट्टे की दर देयताओँ की प्राक्कलित अवधि में तुलन-पत्र की तारीख पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की बाज़ार की प्रचलित लब्धियों पर आधारित है ।

ख) योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर - यह देयताओँ की प्राक्कलित अवधि के दौरान निवेशों पर अपेक्षित प्राप्ति की औसत दीर्घकालीन दर की अपेक्षा पर आधारित है ।

ग) वेतन बढ़ोत्तरी दर - भावी वेतन बढ़ोत्तरी का प्राक्कलन मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(झ)** | **अनुभव इतिहास** | | |
| 1 | अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता | (22,083,964) | (18,980,132) |
| 2 | अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियाँ | 20,520,263 | 16,222,853 |
| 3 | वित्त-पोषण स्थिति में कमी | (1,563,701) | (2,757,279) |
| 4 | योजित देयताओं पर अनुभव समायोजन | 460,037 | (168,403) |
| 5 | योजित परिसंपत्तियो पर अनुभव समायोजन | 243,925 | 44,650 |

**(ञ) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त योजना पर अदा किए जाने वाले अपेक्षित अंशदान ₹ 15,63,701/-**

**टिप्पणी 11 - अचल परिसंपत्तियाँ - मूर्त**

| परिसंपत्तियों का विवरण | लागत | | | | मूल्यह्रास / परिशोधन / कमी | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | यथा 1 अप्रैल 2015 को, ₹ | वर्ष के दौरान परिवर्धन ₹ | वर्ष के दौरान कटौतियाँ ₹ | यथा 31 मार्च 2016 को, ₹ | 1 अप्रैल 2015 तक, ₹ | वर्ष के लिए ₹ | कटौतियों पर ₹ | 31 मार्च 2016 तक, ₹ | यथा 31 मार्च 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च 2015 को ₹ |
| मूर्त परिसंपत्तियाँ | | | | | | | | | | |
| पट्टाधारित भूमि | 2,334,780 | - | - | 2,334,780 | 572,838 | 24,660 | - | 597,498 | 1,737,282 | 1,761,942 |
| भवन | 80,527,508 | - | - | 80,527,508 | 42,947,038 | 2,689,619 | - | 45,636,657 | 34,890,851 | 37,580,470 |
| संयंत्र व मशीनरी | 1,286,743,303 | 6,415,860 | 19,736,358 | 1,273,422,805 | 441,518,713 | 67,166,996 | 19,705,788 | 488,979,921 | 784,442,884 | 845,224,590 |
| कार्यालयीन उपस्कर | 3,800,436 | 913,390 | 460,192 | 4,253,634 | 3,369,569 | 176,516 | 460,192 | 3,085,893 | 1,167,741 | 430,867 |
| वैद्युत संस्थापना | 19,810,470 | - | - | 19,810,470 | 13,272,052 | 1,111,519 | - | 14,383,571 | 5,426,899 | 6,538,418 |
| फर्नीचर और जुड़नार | 8,414,719 | 356,986 | 304,681 | 8,467,024 | 5,720,230 | 458,006 | 303,138 | 5,875,098 | 2,591,926 | 2,694,489 |
| कंप्यूटर सिस्टम | 5,337,960 | - | 1,175,031 | 4,162,929 | 4,241,868 | 278,245 | 1,107,739 | 3,412,374 | 750,555 | 1,096,092 |
| **कुल *** | **1,406,969,176** | **7,686,236** | **21,676,262** | **1,392,979,150** | **511,642,308** | **71,905,561** | **21,576,857** | **561,971,012** | **831,008,138** | **895,326,868** |
| **पिछले वर्ष** | 694,471,620 | 712,497,556 | - | 1,406,969,176 | 473,340,552 | 38,301,756 | - | 511,642,308 | 895,326,868 | 221,471,859 |

1. संयंत्र और मशीनरी (सकल ब्लॉक) में ₹2,83,63,205/- (पिछले वर्ष ₹2,83,63,205/-) तक की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो टीपीडीयूपी परियोजना के तहत प्राप्त अनुदान द्वारा वित्त-पोषित हैं ।
2. संयंत्र और मशीनरी (सकल ब्लॉक) में ₹66,23,22,771/- (पिछले वर्ष ₹66,23,22,771/-) तक की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो एक्सडी-4 आई.आई.ट्यूबों हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त अनुदान द्वारा वित्त-पोषित हैं ।
3. ₹7,19,05,561/- के मूल्यह्रास में ₹5,45,54,852/- के टीओटी उपस्करों पर मूल्यह्रास शामिल है ।
*4. सकल ब्लाक और संचित मूल्यह्रास में ₹ 2,15,52,412/- (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं) शामिल है जो सक्रिय प्रयोग वाली परिसंपत्तियों से संबंधित है जिनका निपटान लंबित है। इसके अतिरिक्त, ₹ 22,573 (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं) का निवल ब्लाक जो ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित हैं जो सक्रिय प्रयोग में नहीं हैं (जिसका भुगतान लंबित है) को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया गया ।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया गया ।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत न आने वाली परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के परिकलन हेतु ऐसी परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल नीचे दिया गया है -

i) संयंत्र व मशीनरी (निरंतर प्रक्रम संयंत्र) 15 वर्ष

प्रौद्योगिकी लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, रैखिक अंतरण लाइनें (सतत् प्रक्रम संयंत्र) 15 वर्षों की अवधि के लिए टीओटी प्रदाता द्वारा समर्थित हैं ।

7. दो पालियों में काम करने तथा तीन पालियों में काम करने के संबंध में संयंत्र व मशीनरी पर क्रमश: 50% और 100% का अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है ।
8. कंपनी ने 25.11.1991 को ₹ 20,52,000/- की लागत पर 95 वर्षों के लिए एमआईडीसी से पट्टे पर 13680 वर्ग मीटर की ज़मीन अर्जित की है जिसे नए निबंधन व शर्तों पर अतिरिक्त 95 वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है । पूँजीकृत पट्टाधारित भूमि की लागत ₹ 23,34,780/-

**टिप्पणी 12 - अचल परिसंपत्तियाँ - अमूर्त**

| परिसंपत्तियों का विवरण | लागत | | | | मूल्यह्रास / परिशोधन / कमी | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | यथा 1 अप्रैल 2015 को, ₹ | वर्ष के दौरान परिवर्धन ₹ | वर्ष के दौरान कटौतियाँ ₹ | यथा 31 मार्च 2016 को, ₹ | 1 अप्रैल 2015 तक, ₹ | वर्ष के लिए ₹ | कटौतियों पर ₹ | 31 मार्च 2016 तक, ₹ | यथा 31 मार्च 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च 2015 को ₹ |
| लाइसेंस शुल्क | 1,891,659,862 | - | - | 1,891,659,862 | 49,234,983 | 189,165,986 | - | 238,400,969 | 1,653,258,893 | 1,842,424,879 |
| कंप्यूटर आपरेटिंग सिस्टम | 188,631 | - | | 188,631 | 15,969 | 18,863 | | 34,832 | 153,799 | 172,662 |
| **कुल** | **1,891,848,493** | **-** | **-** | **1,891,848,493** | **49,250,952** | **189,184,849** | **-** | **238,435,801** | **1,653,412,692** | 1,842,597,541 |
| **पिछले वर्ष** | | 1,89,18,48,493 | - | 1,89,18,48,493 | | 4,92,50,952 | - | 4,92,50,952 | 1,84,25,97,541 | - |

1. अमूर्त परिसंपत्तियों (सकल ब्लॉक) में ₹ 1,60,33,70,899/- (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं/-) शामिल है जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त अनुदान द्वारा वित्त-पोषित है ।
2. ₹ 18,91,84,849/- के परिशोधन में ₹ 18,91,65,986/- के टीओटी लाइसेंस शुल्क पर परिशोधन शामिल है ।

**टिप्पणी 13 - पूँजीगत चालू कार्य**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ | |
|---|---|---|---|---|
| संयंत्र एवं मशीनरी | 775,792 | 775,792 | 1,733,014 | 1,733,014 |
| **कुल** | | **775,792** | | **1,733,014** |

**टिप्पणी 14 - विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ | |
|---|---|---|---|---|
| **टीओटी**<br>प्रारंभिक शेष | - | - | 1,891,659,862 | |
| जोड़ें - वर्ष के दौरान परिवर्धन | - | - | - | 1,891,659,862 |
| घटाएँ - वर्ष के दौरान पूँजीकृत राशि | - | - | | 1,891,659,862 |
| **कुल** | - | - | | |

**टिप्पणी 15 - दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ | |
|---|---|---|---|---|
| आयकर का अग्रिम भुगतान (प्रावधान का निवल) (टिप्पणी सं. 10 देखें) | | - | | - |
| पूर्वदत्त व्यय | | 4,024,985 | | 5,366 |
| एमएटी क्रेडिट हकदारिता | | 3,197,418 | | 2,668,261 |
| **जमा राशियाँ-** | | | | |
| उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास जमा | 1,000 | | 1,000 | |
| न्यायालय में जमा | 1,391,490 | | 1,391,490 | |
| चुंगी के लिए जमा | 2,357,710 | | 2,357,710 | |
| एमएसईबी के पास जमा | 2,508,100 | | 1,787,400 | |
| जल संदाय के लिए जमा | 128,250 | | 128,250 | |
| अन्य जमाएँ | 125,000 | 6,511,550 | 117,000 | 5,782,850 |
| **कुल** | | **13,733,953** | | **8,456,477** |

**टिप्पणी 16 - अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ | |
|---|---|---|---|---|
| पूँजीगत अग्रिम | | 372,735,483 | | 83,798,472 |
| सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज | | 258,228 | | 387,036 |
| **अन्य बैंक शेष** सावधि जमा में (12 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि) | | 11,333,169 | | 4,603,789 |
| **वस्तुसूचियाँ** कच्चा माल | 16,000,891 | | 16,229,320 | |
| घटाएँ - अप्रचलन का प्रावधान | 16,000,891 | - | 16,229,320 | - |
| **व्यापार प्राप्य** जिन्हें संदिग्ध माना गया | 33,380,754 | | 4,600,238 | |
| घटाएँ - संदिग्ध ऋणों का प्रावधान | 33,380,754 | - | 4,600,238 | - |
| **पूर्तिकर्ताओं को अग्रिम** जिन्हें संदिग्ध माना गया | 1,959,337 | | 1,959,337 | |
| घटाएँ - संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान | 1,959,337 | - | 1,959,337 | - |
| **कुल** | | **384,326,880** | | **88,789,297** |

**टिप्पणी 17 - वस्तुसूचियाँ**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ | |
|---|---|---|---|---|
| कच्चा माल | 39,996,152 | | 103,685,539 | |
| स्टोर एवं उपभोज्य | 9,674,308 | | 14,460,544 | |
| प्रक्रम स्टॉक | 186,075,282 | 235,745,742 | 199,659,993 | 317,806,076 |
| मशीनरी के पुर्जे | | 24,771,462 | | 969,282 |
| **कुल** | | **260,517,204** | | **318,775,358** |

**टिप्पणियाँ** -

1) कच्चे माल में ₹ 1,27,86,086/-का मार्गस्थ माल शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 1,58,65,004/-)
2) यथा 31.03.2016 को उप-ठेकेदारों के पास स्थित कच्चे माल और घटक ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं) हैं ।

**टिप्पणी 18 - व्यापार से प्राप्य**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ |
|---|---|---|
| जिन्हें खरा माना गया<br>छ: महीनों से अधिक | 3,538,156 | 1,471,244 |
| छ: महीनों से अधिक नहीं | 172,203,686 | 113,797,150 |
| **कुल** | **175,741,842** | **115,268,394** |

**टिप्पणी 19 - नकद व बैंक शेष**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ |
|---|---|---|
| **1. नकद व नकद समतुल्य** | | |
| **हस्तस्थ नकद व स्टैम्प** | 126,232 | 68,022 |
| बैंक शेष | | |
| चालू खातों में | 1,256,275 | 10,857,196 |
| नकद क्रेडिट खाते में | 35,655,367 | 25,139,195 |
| सावधि जमाओं में | 27,71,10,025 | 3,53,52,387 |
| **उप - कुल (1)** | **314,147,899** | **71,416,800** |
| **2. अन्य बैंक शेष**<br>सावधि जमाओं में<br>(12 महीनों के भीतर की परिपक्वता) | 14,909,927 | 19,097,609 |
| **उप-कुल (2)** | **14,909,927** | **19,097,609** |
| **कुल (1+2)** | **329,057,826** | **90,514,409** |

नकद व नकद समतुल्य में तीन महीनों तक की मूल परिपक्वता अवधि की सावधि जमाएँ शामिल हैं। तीन महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि की सावधि जमाओं को अन्य बैंक शेषों में शामिल किया गया है।

**टिप्पणी 20 - अल्पकालीन ऋण व अग्रिम**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ | |
|---|---|---|---|---|
| **अरक्षित अग्रिम - जिन्हें खरा माना गया** | | | | |
| कर्मचारी | - | | 24,892 | |
| पूर्तिकर्ता | 59,562,835 | 59,562,835 | 16,313,918 | 16,338,810 |
| **टीओटी** अग्रिम टीडीएस (एक्सआर-5) | 28,756,313 | | 6,233,303 | |
| एक्सआर-5 पर अदा किया गया अग्रिम सेवा कर | 39,586,655 | 68,342,968 | 7,627,847 | 13,861,150 |
| **सेवा कर जमा** | | 94,675 | | 94,675 |
| **कुल** | | **128,000,478** | | **30,294,635** |

**टिप्पणी 21 - अन्य चालू परिसंपत्तियाँ**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ | | यथा 31 मार्च, 2015 को ₹ | |
|---|---|---|---|---|
| सावधि जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज | | 1,594,137 | | 1,007,750 |
| पूर्वदत्त व्यय | | 340,969 | | 930,582 |
| प्राप्त छात्रवृत्ति (प्रशिक्षु) | | 34,930 | | 34,956 |
| बीईएल से प्राप्य छुट्टी नकदीकरण | | 493,898 | | 275,700 |
| बीईएल-एमसी से प्राप्य विक्रय कर | | 624,800 | | 624,800 |
| **राजस्व प्राधिकारियों के पास शेष** | | | | |
| प्राप्य सेवा कर | - | | 2,595 | |
| प्राप्य वीएटी धन वापसी | 10,494 | | 133,478 | |
| देय आयकर वापसी | 8,124,447 | | 7,769,296 | |
| देय एफबीटी वापसी | 45,928 | | 45,928 | |
| वीएटी इनपुट कर क्रेडिट | 15,510 | | 12,828 | |
| प्राप्य सीएसटी वापसी | 2,526,788 | | 2,886,327 | |
| प्राप्य स्टैम्प ड्यूटी | - | 10,723,167 | 1,000,000 | 1,18,50,452 |
| **कुल** | | **13,811,901** | | **14,724,240** |

**टिप्पणी 22 - अन्य आय**

| **विवरण** | **31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹** | **31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹** |
|---|---|---|
| सावधि जमा पर ब्याज | 7,780,464 | 11,121,055 |
| ब्याज, अन्य | 155,348 | 94,242 |
| विविध प्रावधान व क्रेडिट शेष जो अब आवश्यक नहीं हैं, को बट्टा खाते में डाला गया | 12,070,221 | 376,320 |
| विदेशी मुद्रा के लेनदेन और रूपांतरण(निवल) पर निवल लब्धि@ | - | 165,390,003 |
| पूर्तिकर्ता से वसूला गया निर्णीत हर्जाना* | 820,662 | 36,955,993 |
| विविध आय | 63,895 | 1,099,245 |
| **कुल** | **20,890,590** | **215,036,858** |

@ विदेशी मुद्रा की हानि उक्त लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और निपटान / रिपोर्ट करने की तारीख के बीच विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन के कारण उत्पन्न दर के उतार-चढ़ाव के कारण है ।

**टिप्पणी 23 - खपत सामग्री की लागत**

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ |
|---|---|---|
| **खपत कच्चा माल और घटक** | | |
| प्रारंभिक स्टॉक | 104,049,855 | 84,561,356 |
| जोड़ें - खरीद | 538,243,138 | 1,007,147,237 |
| | 642,292,993 | 1,091,708,593 |
| घटाएँ - अंतिम स्टॉक | 43,210,957 | 104,049,855 |
| **उप-कुल (1)** | **599,082,036** | **987,658,738** |
| **खपत स्टोर्स और उपभोज्य** | | |
| प्रारंभिक स्टॉक | 14,460,544 | 10,120,571 |
| जोड़ें - खरीद | 7,865,923 | 13,646,872 |
| | 22,326,467 | 23,767,443 |
| घटाएँ - अंतिम स्टॉक | 9,674,308 | 14,460,544 |
| **उप-कुल (2)** | **12,652,159** | **9,306,899** |
| **कुल (1+2)** | **611,734,195** | **996,965,637** |

**टिप्पणी 24 - प्रक्रम स्टॉक में कमी / (बढ़ोत्तरी)**

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ | | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ | |
|---|---|---|---|---|
| **प्रक्रम स्टॉक** | | | | |
| प्रारंभिक स्टॉक | 199,659,993 | | 151,010,560 | |
| अंतिम स्टॉक | 186,075,282 | 13,584,711 | 199,659,993 | (48,649,433) |
| **कुल कमी / (बढ़ोत्तरी)** | | **13,584,711** | | **(48,649,433)** |

**टिप्पणी 25 - कर्मचारी अनुलाभ व्यय**

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ | | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ | |
|---|---|---|---|---|
| वेतन व भत्ते | | 76,200,979 | | 61,989,883 |
| छुट्टी नकदीकरण | | 2,410,695 | | 2,359,717 |
| **भविष्य निधि तथा अन्य निधियों को अंशदान** | | | | |
| भविष्य निधि | 4,354,052 | | 3,959,710 | |
| अधिवर्षिता निधि | 1,217,343 | | 1,056,020 | |
| उपदान | 1,563,701 | | 2,757,279 | |
| अन्य निधियाँ | 156,590 | 7,291,686 | 130,283 | 7,903,292 |
| भ.नि. पर प्रशासन और ईडीएलआई | | 415,252 | | 433,785 |
| स्टाफ कल्याण व्यय | | 1,680,217 | | 1,958,873 |
| **कुल** | | **87,998,829** | | **74,645,550** |

**टिप्पणी 26 - वित्त लागत**

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ |
|---|---|---|
| ब्याज, अन्य | 63,542 | 9,704 |
| बीईएल के ऋण पर ब्याज | 24,822,788 | - |
| नकद क्रेडिट पर ब्याज | 5,798,990 | 29,309 |
| बायर्स क्रेडिट पर ब्याज | 1,433,533 | 999,530 |
| आय कर पर ब्याज | 523,246 | 1,006,052 |
| उत्पाद शुल्क पर ब्याज | 2,805,000 | 446,558 |
| **उप-कुल (1)** | **35,447,099** | **2,491,153** |
| **अन्य उधार लागत** | | |
| ऋण प्रक्रमण प्रभार | 4,454,447 | 9,684,225 |
| **उप-कुल (2)** | **4,454,447** | **9,684,225** |
| **कुल (1+2)** | **39,901,546** | **12,175,378** |

**टिप्पणी 27 - तकनीकी सहायता शुल्क एवं यात्रा खर्च**

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ |
|---|---|---|
| **टीओटी - एक्सडी-4** | | |
| तकनीकी सहायता शुल्क | - | 176,504,202 |
| यात्रा खर्चे - टीओटी | - | - |
| **सेवा कर** | - | 18,348,158 |
| **कुल** | **-** | **194,852,360** |

**टिप्पणी 28 - अन्य व्यय**

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ |
|---|---|---|
| बिजली और ईंधन | 32,285,597 | 28,279,578 |
| गैस | 2,310,741 | 2,152,498 |
| जल प्रभार | 277,704 | 538,501 |
| रॉयल्टी | 1,850,000 | - |
| यात्रा और वाहन | 2,479,894 | 2,039,515 |
| संचार | 873,102 | 912,697 |
| मुद्रण और स्टेशनरी | 163,863 | 394,561 |
| बीमा | 2,095,884 | 1,540,497 |
| दर व कर | 9,618,421 | 2,700,882 |
| बैंक प्रभार | 2,154,705 | 1,825,959 |
| कानूनी और पेशेवर प्रभार | 2,308,022 | 2,162,002 |
| विदेशी मुद्रा पर हानि (निवल)** | 53,925,068 | - |
| उत्पाद शुल्क अन्य | - | 4,439,275 |
| अचल परिसंपत्तियों को बट्टा खाते में डालना | 22,573 | |
| मशीनरी की मरम्मत | 5,511,069 | 4,017,054 |
| सामान्य रख-रखाव व्यय | 9,842,479 | 10,667,921 |
| निर्णीत हर्जाना | - | 30,962,682 |
| संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों का प्रावधान | 28,780,516 | 2,194,353 |
| वारंटी अवधि के दौरान मरम्मत का प्रावधान | - | 12,890,510 |
| अप्रचलित स्टोर्स का प्रावधान | - | 15,360,292 |
| विविध व्यय | 1,852,952 | 2,115,051 |
| **कुल** | **156,352,590** | **125,193,828** |

** विदेशी मुद्रा की हानि उक्त लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और निपटान / रिपोर्ट करने की तारीख के बीच विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन के कारण उत्पन्न दर के उतार-चढ़ाव के कारण है ।

**टिप्पणी 29 - पूर्वावधि आय व व्यय**

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, ₹ |
|---|---|---|
| **पूर्वावधि आय व व्यय** | | |
| **क. व्यय** | | |
| ब्याज | 10,441 | - |
| मरम्मत व रख-रखाव | - | 4,390 |
| विविध व्यय | - | 12,726 |
| बिजली व ईंधन | - | 121,330 |
| किराया, दर व कर | 142,189 | 16,749 |
| **कुल (क)** | **152,630** | **155,195** |
| **ख. आय तथा पुनर्लेखन** | | |
| वेतन | 218,198 | - |
| सामग्री, श्रम और मूल्यह्रास | 1,011,527 | 1,643 |
| **कुल (ख)** | **1,229,725** | **1,643** |
| **निवल कुल (क+ख)** | **(1,077,095)** | **153,552** |

**टिप्पणी 30 - प्रति शेयर अर्जन**

(क) प्रति शेयर मूल व परिवर्तित अर्जन का परिकलन करने में न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त राशि लाभ व हानि के विवरण में प्रकट वर्ष के लिए कर पश्चात् निवल लाभ है ।

(ख) प्रति शेयर मूल व परिवर्तित दोनों अर्जनों का परिकलन करने में डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या 25,90,296 है ।

**टिप्पणी-31**

**1. अल्पकालीन उधार**

**क) बैंकों से कार्यशील पूँजी ऋण**

क) कंपनी को एसबीआई (अग्रणी बैंक) तथा एक्सिस बैंक के संघीय बैंकर द्वारा ₹ 46.00 करोड़ की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है । ब्याज की दर 9.85% प्रति वर्ष (एक्सिस बैंक) तथा 10.05% प्रतिवर्ष (एसबीआई) है ।

ख) यथा 31.03.2016 को बायर्स क्रेडिट की उपयोगिता ₹ 28,38,53,339/- (पिछले वर्ष ₹ 24,72,86,912) है ।

ग) उपर्युक्त मंजूरी सीमा प्रथम प्रभार द्वारा तथा भूमि व भवन के साम्य बंधन के माध्यम से बराबर-बराबर प्रभारों द्वारा कच्चे माल, प्रक्रियागत स्टॉक, तैयार स्टॉक, भंडार एवं पुर्जे, पुस्त ऋण तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों (संयंत्र एवं मशीनरी से संबंधित कलपुर्ज़ों को छोड़कर) के दृष्टिबंधन द्वारा प्रारक्षित है ।

**ख) बीईएल से कार्यशील पूँजी ऋण**

बेलॉप ने बीईएल से अप्रैल 2016 से शुरु करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समान किस्तों के मूलधन का चुकतान करने की शर्तों तथा दिसंबर 2015 तक देय ब्याज की रोक के साथ मासिक आधार पर ब्याज चुकाने हेतु रु. 50 करोड़ का कार्यशील पूँजी ऋण लिया है।

**2. एक्सआर-5 परियोजना के लिए वित्त-पोषण**

ग्राहकों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आई.आई.ट्यूबों के विनिर्देशों में परिवर्धन करने के उद्देश्य से, बेलॉप ने मई 2014 के दौरान एक्सआर-5 आई.आई.ट्यूबों के लिए टीओटी हेतु मे. फोटोनिस, फ्रांस के साथ एक करार किया है। बीईएल ईक्विटी के ज़रिए 22.95 मिलियन यूरो की मूल परियोजना लागत का वित्तपोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रस्ताव है कि परियोजना की लागत की शेष राशि जो संबंधित कर और शुल्क तथा बेलॉप में अवसंरचना के कोटि उन्नयन की ओर होगी, ऋण द्वारा पूरी की जाएगी।

वर्ष के दौरान, एक्सआर-5 परियोजना के वित्त-पोषण के भाग के रूप में, बेलॉप ने प्रीमियम पर 19,51,385 शेयरों के लिए राइट इश्यू जारी किया है और उसका अभिदान किया गया और शेयरों को आबंटित किया गया है।

3. कंपनी ने अधिसूचना सं. एफ.सं. 1/19/2013-सीएल-V-पार्ट दिनांक 4 सितंबर 2015 द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के पैरा 5(ii) (क) (1), 5(ii) (क) (2), 5(ii) (ङ), 5(iii), 5(viii) (क), 5(viii) (ख), 5(viii) (ग), 5(viii) (ङ) के अनुपालन से भारत सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय से छूट प्राप्त की है।

4. ठेकों की प्राक्कलित राशि जो पूँजी खाते में निष्पादित किए जाने हेतु शेष है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, की राशि ₹ 2,19,42,513/- (पिछले वर्ष ₹ 13,34,756/-) है ।

5. **टीओटी के संबंध में अनुदान अंतरण के विवरण**

| **क्र.सं.** | **विवरण** | **राशि ₹** |
|---|---|---|
| 1 | मूल्यह्रास | 5,45,54,852 |
| 2 | लाइसेंस शुल्क का परिशोधन | 18,91,65,986 |
| 3 | मरम्मत और रख-रखाव | 68,253 |
| **4** | **कुल** | **24,37,89,091** |
| **5** | **अनुदान अंतरण (4 का 84.76%)** | **20,66,35,634** |

6. टीपीडीयूपी परियोजना के मामले में, खरीदी गई अचल परिसंपत्तियों का अतिरेक निवल ब्लॉक कंपनी द्वारा उपगत व्ययों की राशि को दर्शाता है जिसके लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है ।

7. **लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर का निवल)**

राशि ₹ में

| **विवरण** | 2015-16 | 2014-15 |
|---|---|---|
| लेखा परीक्षा शुल्क | 1,00,000 | 1,00,000 |
| **कुल** | **1,00,000** | **1,00,000** |

8. कंपनी के अधिकार में कुछेक ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें मूल रूप से लॉयड्स फायनेंस, आईसीआईसीआई लि. और टाइम्स गारंटी फायनेंशियल्स लिमिटेड के साथ पट्टा करार के तहत पट्टे पर लिया गया था जिसके लिए प्राथमिक तथा/या द्वितीयक पट्टा अवधि समाप्त हो गई है। आईसीआईसीआई लि. और टाइम्स गारंटी फायनेंशियल्स लिमिटेड के संबंध में, पट्टा अवधि ओटीएस योजना के अनुसार समाप्त हुई है । 2015-16 के दौरान, कंपनी ने उक्त परिसंपत्तियों को सकल ब्लाक में परिवर्धन के माध्यम से प्रत्येक परिसंपत्ति (कुल रु. 23/-) के लिए रु. 1/- के नाममात्र मूल्य पर पुस्तकों में लिया है ।

9. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण** -

**क) संबंधित पक्षकार का नाम तथा जहाँ नियंत्रण विद्यमान है, उसके संबंधों की प्रकृति** -

| **संबंधित पक्षकार का नाम** | **संबंध की प्रकृति** |
|---|---|
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | धारक कंपनी |

**ख) धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ संबंधित पक्षकार के लेनदेन**

| **लेनदेनों की प्रकृति** | **लेनदेन की राशि (₹)** | **वर्षांत में बकाया राशि** | |
|---|---|---|---|
| | | **नामें (₹)** | **जमा (₹)** |
| विक्रय | **78,76,78,105** | **-** | **-** |
| देनदार** | | **9,11,55,778** | |
| विक्रय से अग्रिम | | **-** | **20,79,941** |
| प्राप्त छुट्टी नकदीकरण | | **4,93,898** | |
| बीईएस से ऋण | | | **50,00,00,000** |
| बीईएल के ऋण पर ब्याज | | | **96,07,056** |
| प्राप्य विक्रय कर | **-** | **6,24,800** | **-** |

** देनदारों में ₹1,17,05,329/- शामिल है जिसके लिए संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया गया है ।

i. बेलॉप ने ₹ 104.16 करोड़ के लिए बीईएल द्वारा टीओटी की लागत का अस्थाई रूप से वित्त-पोषण करने के लिए 30 अप्रैल, 2013 को बीईएल के साथ एक करार किया है और इस करार के निबंधनों के अनुसार, बेलॉप इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूबों की आपूर्ति के समक्ष कीमत बट्टा के रूप में निधियों की लागत हेतु बीईएल को प्रतिपूर्ति देगी ।

ii. एक अधिकारी बीईएल यानी धारक कंपनी से प्रतिनियुक्त पर हैं और वर्ष के दौरान उनके वेतन आदि का भुगतान बीईएल ऑप्ट्रानिक डिवाइसेस लिमिटेड द्वारा नियोजन के निबंधन व शर्तों के अनुसार किया गया ।

iii. बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड ने बीईएल द्वारा नियुक्त सतर्कता अधिकारी को प्रदत्त वेतन का आनुपातिक हिस्सा भी वहन किया है ।

10. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक इस प्रकार हैं** -

| **क्र.सं.** | **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का नाम** | **पदनाम** |
|---|---|---|
| 1 | श्री सुनील कुमार शर्मा | सीएमडी, बीईएल तथा अध्यक्ष, बेलॉप |
| 2 | श्री एम एल षणमुख | निदेशक (मा.सं.), बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप |
| 3 | डॉ अजीत टी कलघट्गी | निदेशक (अनु. व वि.), बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप |
| 4 | श्री प्रभात आर आचार्या | निदेशक (वित्त), बीईएल, तथा निदेशक, बेलॉप |
| 5 | श्री एस एस कुलकर्णी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बेलॉप |
| 6 | सुश्री प्रिया एस अय्यर | कंपनी सचिव तथा सीएफओ, बेलॉप |

उपर्युक्त सभी निदेशक अंशकालिक निदेशक हैं । इस वर्ष के दौरान उपर्युक्त निदेशकों को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया ।

11. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा "खण्ड रिपोर्टिंग" पर जारी लेखा मानक-17 के अनुसार, कंपनी के उत्पादन केवल एक खण्ड यानी इमेज इन्टेंसीफायर ट्यूब में आते हैं, इसलिए, अलग खण्डवार परिणाम प्रकट नहीं किए गए हैं ।

12. कंपनी जो कि एकल सम्मिश्रित नकद सृजन करने वाली यूनिट है, ने आंतरिक एवं बाहरी कारकों के मूल्यांकन के आधार पर यह पाया है कि इसकी परिसंपत्तियों की अनर्जकता के कोई सूचक नहीं हैं, इसलिए, इसके लिए किसी प्रावधान का किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

13. **विदेशी मुद्रा के एक्सपोज़र जिन्हें व्युत्पन्नी विलेख या अन्यथा रोका नहीं गया है, के ब्यौरे -**

| विवरण | मुद्रा | विदेशी मुद्रा में राशि | | ₹ में समतुल्य राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| **प्रदेय** | | | | | |
| लेनदार | यूएसडी | - | 5,418.30 | - | 3,39,077.46 |
| | यूरो | 8,93,579.99 | 58,67,772.61 | 6,49,40,437.47 | 45,37,39,622.71 |
| **बायर्स क्रेडिट** | यूएसडी | 4,63,412.50 | 11,18,456.44 | 3,0942,052.63 | 7,05,29,863.00 |
| | यूरो | 33,37,441.10 | 25,83,412.00 | 25,29,11,286.56 | 17,67,57,049.00 |
| **आकस्मिक देयता** | यूएसडी | 7,585.00 | 2,50,500.00 | 5,00,610.00 | 1,57,96,530.00 |
| **बैंक शेष** | यूएसडी | 240.38 | 4,588.68 | 15,859.03 | 2,85,507.67 |

14. कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान अनुसंधान एवं विकास से संबंधित पूँजीगत उपस्करों के संबंध में रु. 28,88,612/- (सकल) (पिछले वर्ष रु. 50,38,506/-) का खर्च उपगत किया है। रु. 28,88,612/- के उक्त खर्च में से रु. 10,11,527/-की राशि पूर्वावधि से संबंधित है।

15. अधिवार्षिता के संबंध में लेखा मानक 15 (संशोधित) कर्मचारी अनुलाभ द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं –

क) कंपनी में सहायक प्रबंधकों तथा इससे ऊपर की श्रेणी के कार्यपालकों के लिए अधिवर्षिता योजना है ।

ख) इस योजना के अनुसार, कंपनी प्रति वर्ष मूल वेतन+डी.ए. के 13% का अंशदान देती है । अंशदान करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक वर्ष यथा 1 अप्रैल को कर्मचारियों के मूल वेतन + डी.ए. पर को विचार में लिया जाता है ।

ग) अधिवर्षिता का अंशदान अधिवार्षिता न्यास के माध्यम से एलआईसी को विप्रेषित किया जाता है और प्रत्येक कर्मचारी के क्रेडिट में संचित राशि पेंशन के रूप में अधिवार्षिता न्यास के माध्यम से कर्मचारी को एलआईसी द्वारा जारी की जाती है ।

16. **आकस्मिक देयताएँ**

| **क्र.सं.** | **विवरण** | **31-3-2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹** | **31-3-2015 को समाप्त वर्ष के लिए ₹** |
|---|---|---|---|
| क) | बकाया साख पत्र | 5,00,610 | 1,57,96,530 |
| ख) | बकाया बैंक गारंटी (कंपनी द्वारा इनके लिए प्रति-गारंटी दी गई है) | 34,26,703 | 10,32,000 |
| ग) | कंपनी द्वारा विवादित चुंगी मांग तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 में पुणे न्यायालय के वरिष्ठ खंड पीठ में जमा राशि | 13,91,490 | 13,91,490 |
| घ) | कंपनी द्वारा विवादित सेवा कर | 28,45,450 | 12,62,327 |
| ङ) | ग्राहकों के अनपेक्षित आदेश जहाँ सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हो गई है, पर 31 मार्च तक अनंतित निर्णीत हर्जाना | कुछ नहीं | 1,90,83,600 |
| च) | आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10बी के तहत प्राप्त अनुलाभों के संबंध में कंपनी के पक्ष में आईटीएटी के आदेश के विरुद्ध मुंबई, उच्च न्यायालय में दाखिल अपील | 3,86,57,286 | कुछ नहीं |
| | **कुल (क से च)** | **4,68,21,539** | **3,85,65,947** |

17. विभिन्न न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादाधीन श्रम मामलों के संबंध में देयता, यदि कोई हो, अभिनिश्चित नहीं की गई है ।

18. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं ।

**01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए नकदी प्राप्ति विवरण**

राशि ₹ में

| क्र.सं. | विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|---|---|---|---|
| क | **प्रचालनीय कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति**<br>कर तथा असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ | 45,523,763 | 54,171,772 |
| | इनके लिए समायोजन - | | |
| | मूल्यह्रास एवं परिशोधन | 261,090,410 | 87,552,708 |
| | निवेश से आय | (7,935,812) | (11,215,297) |
| | वित्तीय लागत | 39,901,546 | 12,175,378 |
| | अनुदान से अंतरण | (207,447,525) | (258,749,716) |
| | **कार्यशील पूँजी में परिवर्तन होने से पहले प्रचालनीय लाभ** | **131,132,382** | **(116,065,155)** |
| | इनके लिए समायोजन - | | |
| | व्यापर तथा अन्य प्राप्तियाँ | (457,552,854) | (18,055,808) |
| | वस्तुसूचियाँ | 58,258,154 | (70,740,276) |
| | व्यापार से प्रदेय तथा अग्रिम | (426,801,850) | (256,400,811) |
| | **प्रचालनों से सृजित नकद** | **(694,964,168)** | **(461,262,050)** |
| | अदा किया गया प्रत्यक्ष कर | (1,32,82,049) | (2,19,16,396) |
| | **प्रचालनीय कार्यकलापों से निवल नकद** | **(708,246,217)** | **(483,178,446)** |
| ख | **निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति** | | |
| | अचल परिसंपत्तियों की खरीद | (6,629,609) | (12,903,515) |
| | बैंक जमा | 4,187,682 | (5,470,814) |
| | प्राप्त ब्याज | 7,935,812 | 11,215,297 |
| | **निवेश संबंधी कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकद** | **5,493,885** | **(7,159,032)** |
| ग | **वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति** | | |
| | प्राप्त अनुदान | - | 95,224,960 |
| | अल्पकालीन उधार में बढ़ोत्तरी / (कमी) | 536,566,427 | 247,286,912 |
| | वित्त लागत | (39,901,546) | (12,175,378) |
| | शेयर जारी करने से प्राप्ति | 448,818,550 | - |
| | **वित्त संबंधी कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकद** | **945,483,431** | **330,336,494** |

राशि ₹ में

| क्र.सं. | विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|---|---|---|---|
| | **सार** | | |
| क. | प्रचालनीय कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकद | (708,246,217) | (483,178,446) |
| ख. | निवेश संबंधी कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकद | 5,493,885 | (7,159,032) |
| ग. | वित्त संबंधी कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकद | 945,483,431 | 330,336,494 |
| | **नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)** | **242,731,099** | **(160,000,984)** |
| | वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य | 71,416,800 | 231,417,784 |
| | वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य | 314,147,899 | 71,416,800 |
| | **नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)** | **242,731,099** | **(160,000,984)** |
| 1 | उपर्युक्त विवरण को नकदी प्राप्ति विवरण (एएस-3) के लेखा मानक के अनुसार परोक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है । | | |
| 2 | अचल परिसंपत्तियों में परिवर्धन को अवधि के प्रारंभ और अंत के बीच पूँजीगत चालू कार्य के संचलनों को शामिल करते हुए बताया गया है और उन्हें निवेश संबंधी कार्यकलाप माना गया है । | | |

**हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 112479डबल्यू

हस्त/-
एम.के. गावस्कर
साझेदार
सदस्यता सं. 037573

स्थान - पुणे
दिनांक - 19 मई 2016

हस्त/-
सुनील कुमार शर्मा
अध्यक्ष

हस्त/-
अजीत टी. कलघट्गी
निदेशक

हस्त/-
एस.एस. कुलकर्णी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्थान – बेंगलूरु
दिनांक - 19 मई 2016

हस्त/-
एम.एल. षणमुख
निदेशक

हस्त/-
प्रभात आर. आचार्या
निदेशक

हस्त/-
प्रिया एस. अय्यर
कंपनी सचिव एवं सीएफओ

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

**बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए**

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन**

हमने **बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड** (''कंपनी'') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें यथा 31 मार्च, 2016 का तुलन-पत्र, उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्राप्ति विवरण और उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं ।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की गई लेखा परीक्षा से हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षणों के आलोक में, हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 19/05/2016 संशोधित की गई है ताकि संलग्नक-ग को शामिल किया जा सके जिसमें हमारे निष्कर्ष और उनका अनुपालन शामिल हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के सीएजी द्वारा जारी दिशा-निर्देश तथा हमारी रिपोर्ट के संलग्नक-क के संशोधित पैरा सं. 7क शामिल किया गया है।**

**यह रिपोर्ट हमारे पूर्व की रिपोर्ट दिनांक 19/05/2016 को अधिक्रमित करती है।**

**स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का निदेशक मंडल ये वित्तीय विवरण जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन तथा नकदी प्राप्तियों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''एक्ट'') की धारा 134(5), जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, में संदर्भित मामलों के लिए उत्तरदायी है । इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए तथा कपट एवं अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए; उचित लेखा नीतियों का चयन और उन्हें अमल में लाने; ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन करने जो औचित्यपूर्ण और दूरदर्शी हों; तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिज़ाइन, कार्यानवयन और रख-रखाव करने, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित किए गए हैं तथा जो वित्तीय विवरण जो सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और भौतिक अवास्तविक कथन, छल या त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं, को तैयार और प्रस्तुत करने और प्रस्तुतकरने के लिए संगत हैं ।

**लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अपना विचार व्यक्त करना है ।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा तथा लेखा मानकों और ऐसे मामले जिन्हें अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, को ध्यान में रखा है ।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है । इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करें और लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त हैं ।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों और प्रकटणों के बारे में लेखा परीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादनीय प्रक्रियाएँ शामिल हैं । चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों के भौतिक अवास्तविक कथन, छल या त्रुटि के कारण, की जोखिमों का मूल्यांकन सहित, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं । ऐसे जोखिम मूल्यांकन करने में लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा की प्रक्रियाएँ जो परिस्थितियों के उपयुक्त हैं, का अभिकल्प तैयार करने के उद्देश्य से, वित्तीय विवरणों की कंपनी की तैयारी और सही प्रस्तुतीकरण से संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं । इस लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करने के साथ-साथ, प्रयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों की औचित्यता का मूल्यांकन भी शामिल है ।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्य, इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा संबंधी विचारों को पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं ।

**अर्हक विचार**

हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित अनुसार सूचनाएँ प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप यथा 31 मार्च, 2016 को कंपनी के कार्यकलाप और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ तथा नकदी प्राप्ति के बारे में सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं|

**अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के परिप्रेक्ष्य में, भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा यथा अपेक्षित, हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरणी संलग्नक के रूप में प्रस्तुत करते हैं ।

2. अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

क. हमने अपने अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार अपने लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी सूचना व स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है;

ख. हमारे विचार से, जहाँ तक लेखा बहियों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है, कंपनी द्वारा विधि-अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं;

ग. इस प्रतिवेदन द्वारा व्यवहार में लाए गए तुलन-पत्र तथा लाभ व हानि का विवरण एवं नकदी प्राप्ति विवरणी इस कंपनी के बही खातों से मेल खाते हैं;

घ हमारे विचार से, उपर्युक्त वित्तीय परिणाम अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करते हैं;

ङ. यथा 31 मार्च, 2016 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, जिसे निदेशक मंडल द्वारा दर्ज किया गया है, कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के परिप्रेक्ष्य में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं हैं;

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावशीलता के संबंध में, संलग्नक-ख में हमारी अलग रिपोर्ट देखें, तथा

ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार -

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटण किया है - वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 देखें ।
ii. कंपनी को व्युत्पन्नी ठेकों सहित, दीर्घकालीन ठेकों पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमान करने योग्य हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू विधि या लेखा मानकों के तहत यथा अपेक्षित कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई ठेका नहीं किया गया है ।
iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण से संबंधित उक्त खंड से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

**कृते एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएन 112479 डबल्यू**

**-हस्त-**
**महेश गावस्कर**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. 037573**

**दिनांक – 14/07/2016**
**स्थान - पुणे**

**लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक-क**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट में संदर्भित संलग्नक, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

1. कंपनी प्रमात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित, पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख रखती आ रही है ।

क. कंपनी में उसकी अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम मौजूद है जिसके द्वारा अचल परिसंपत्तियों का तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से सत्यापन किया जाता है ।

ख. इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछेक अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति देखने को नहीं मिली । हमारे विचार से, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के संदर्भ में भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित है ।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों के हक संबंधी विलेख कंपनी के नाम पर धारित हैं।

2. वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा वर्षांत पर की गई है और लेखा पुस्तकों तथा भौतिक सत्यापन के बीच कोई महत्वपूर्ण विसंगति देखने को नहीं मिली है।

3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व की साझेदारियों या अन्य पक्षकारों को कंपनी ने कोई ऋण, रक्षित या अरक्षित, प्रदान नहीं किया है । इसलिए, उप-पैरा (क), (ख) और (ग) लागू नहीं हैं ।

4. हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है, इसलिए, ऋणों तथा निवेशों से संबंधित अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित उक्त उपबंध लागू नहीं होते हैं।

5. कंपनी ने पब्लिक से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं किया है।

6. कंपनी को कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) में यथा वर्णित लागत अभिलेख रखने की आवश्यकता है। जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी संबंधित लागत विवरणों और अभिलेखों का समेकन कर रही है। हमने कंपनी की ओर से कंपनी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र पेशेवर द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र पर विश्वास किया है।

7. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, कर्मचारी राज्य बीमा तथा उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उप कर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों के संबंध में लेखा बहियों में कटौती की गई / प्रोद्भूत राशियाँ कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उचित प्राधिकारियों को नियमित रूप से जमा की गई हैं ।

क. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, यथा 31 मार्च 2016 को आय कर, विक्रय कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में प्रदेय कोई अविवादित राशि नहीं है जो उनके प्रदेय होने की तारीख से छः महीनों से अधिक की अवधि तक बकाया हो सिवाय सामग्रियों के आयात पर रु. 40,77,742/- की सीमा शुल्क राशि के जो ईओआई के मानदंडों के तहत निर्दिष्ट समय के बाद अप्रयुक्त था जिसे वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 31.03.2016 तक के रु. 33,86,475/- के ब्याज के साथ अदा किया गया ।

ख. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, आय कर या विक्रय करया संपत्ति कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर या उपकर के कोई महत्वपूर्ण देय नहीं हैं, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराए गए हैं । (**टिप्पणी-**31)

क. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, यथा 31 मार्च 2016 को आय कर, विक्रय कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में प्रदेय कोई अविवादित राशि नहीं है जो उनके प्रदेय होने की तारीख से छः महीनों से अधिक की अवधि तक बकाया हो सिवाय सामग्रियों के आयात पर रु. 40,77,742/- की सीमा शुल्क राशि के जो ईओआई के मानदंडों के तहत निर्दिष्ट समय के बाद अप्रयुक्त था जिसे वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 31.03.2016 तक के रु. 33,86,475/- के ब्याज के साथ अदा किया गया ।

ख. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, आय कर या विक्रय करया संपत्ति कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर या उपकर के कोई महत्वपूर्ण देय नहीं हैं, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराए गए हैं । (**टिप्पणी-**31)

8. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर होल्डिंग को देय राशियों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है । तदनुसार, आदेश का उक्त उपबंध लागू नहीं होता है।

9. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक प्रस्ताव या अतिरिक्त पब्लिक प्रस्ताव (ऋण विलेखों सहित) तथा सावधि ऋण द्वारा कोई धनराशि नहीं जुटाया है । तदनुसार यह उपबंध लागू नही होता है।

10. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण कपटपूर्ण कार्य नहीं किया गया है जिसे हमारी लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया हो या उसकी रिपोर्ट की गई हो।

11. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर, कंपनी ने किसी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है/ इसका प्रावधान नहीं किया है, इसलिए, धारा 197 जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा आज्ञापित आवश्यक अनुमोदन नहीं प्राप्त किए गए।

12. हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह उपबंध लागू नहीं होता है।

13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहाँ लागू हों, के अनुपालन के अनुरूप हैं और ऐसे लेनदेनों के विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई शेयरों का कोई वरीय आबंटन या निजी स्थापन अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों का वरीय आबंटन नहीं किया है ।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xv) लागू नहीं होता है।

16. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-Iए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

**कृते एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएन 112479 डबल्यू**

**-हस्त-**
**महेश गावस्कर**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. 037573**

**दिनांक – 14/07/2016**
**स्थान - पुणे**

**लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक-ख**

**कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट**

हमने यथा 31 मार्च 2016 को बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ-साथ लेखा परीक्षा की है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्र के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित, विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समय पर तैयारी करने सहित, इसके कारोबार के व्यवस्थित और दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक किए जा रहे थे ।

**लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी (मार्गदर्शी टिप्पणी) तथा लेखा परीक्षा के मानकों के असार अपनी लेखा परीक्षा की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू हैं तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, जहाँ तक लागू हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत वर्णित हैं। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और अपनी लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इस तरह करें ताकि इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन मिल सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित हैं और रखे गए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं ।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालनीय दक्षता के बारे में लेखा परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मूल्यांकन जोखिम के आधार पर ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करना जहाँ महत्वपूर्ण कमज़ोरी विद्यमान है, शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्यकथन के जोखिम, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, का मूल्यांकन करना शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखा परीक्षा के साक्ष्य, जो हमने प्राप्त किए हैं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों पर हमारी लेखा परीक्षा का विचार का पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियाँ और प्रकियाएँ शामिल हैं जो (1) ऐसे अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित है जो, औचित्यपूर्ण विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन तथा स्थिति को सटीक और उचित ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं, (2) ऐसा औचित्यपूर्ण आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेनों को आवश्यक रूप से अभिलेखित किया जाता है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के असार वित्तीय विवरणों को तैयार करना अनुमत हो तथा यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किए जा रहे हैं, और (3) अप्राधिकृत अधिग्रहण का निवारण करने या समय पर उनका पता लगाने, कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रयोग या निपटान जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में, औचित्यपूर्ण आश्वासन प्रदान करना ।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ**

नियंत्रणों के संघर्ष या अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, त्रुटियों या धोखाधड़ी के कराण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन किए जा सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण, परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में कमी आने के कारण अपर्याप्त हो सकता है।

विचार

हमारे विचार से, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वार जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, यथा 31 मार्च 2016 को प्रभावी रूप से प्रचालित हैं।

**कृते एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**फर्म पंजीकरण संख्या -112479 डबल्यू**

**-हस्त-**
**महेश गावस्कर**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. 037573**

**दिनांक – 14/07/2016**
**स्थान - पुणे**

**लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का संलग्नक-ग**

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वार जारी निर्देशों पर प्रत्युत्तर**

प्रबंधन के प्रत्युत्तर तथा लेखों की समीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं –

| क्र.सं. | निर्देश | प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टाधारित ज़मीन के लिए क्रमश: स्पष्ट हक / पट्टा विलेख हैं? यदि नहीं तो ऐसी पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टाधारित ज़मीन का क्षेत्रफल बताएँ जिसके लिए स्पष्ट हक / पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं । | कंपनी ने दिनांक 25.11.1991 को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम से 95 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर एक ज़मीन (जो ईएल 30, जे ब्लॉक, भोसरी औद्योगिकी क्षेत्र में स्थित है और 13,680 वर्ग मीटर की है) लिया है जिसे अतिरिक्त 95 वर्षों तक नवीकृत किया जा सकता है। इस तथ्य को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 11 में बताया गया है। इसके अलावा, कंपनी यह भी संपुष्ट करती है कि इसके अलावा कंपनी के पास कोई अन्य भूमि नहीं है। इसके आधार पर, हम सूचित करते हैं कि कंपनी पट्टाधारित भूमि के लिए पट्टा विलेख धारित करती है। |
| 2 | क्या उधार / ऋण / ब्याज आदि के अधित्याग / बट्टा खाते में डालने का कोई मामला है। यदि हाँ, तो उसके कारण और राशि बताएँ। | खाता बहियों की हमारी समीक्षा और प्रबंधन के पुष्टिकरण के आधार पर, उधार / ऋण / ब्याज आदि के अधित्याग / बट्टा खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। |
| 3 | क्या तृतीय पक्षकार के पास धारित वस्तुसूचियों तथा सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपहार / अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के उचित अभिलेख रखे जाते हैं। | कंपनी तृतीय पक्षकार के पास धारित वस्तुसूचियों के अभिलेख रखने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाती है। हमने इस प्रक्रिया की समीक्षा की है और इसके आधार पर हमारा विचार है कि कंपनी में एक उचित व्यवस्था मौजूद है जिसका सख्ती से पालन किया जाता है।<br><br>खाता बहियों की हमारी समीक्षा और प्रबंधन के पुष्टिकरण के आधार पर, कंपनी ने कोई परिसंपत्ति उपहार के रूप मे प्राप्त नहीं की है। |

**कृते एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**फर्म पंजीकरण संख्या -112479 डबल्यू**

**-हस्त-**
**महेश गावस्कर**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. 037573**

**दिनांक – 14/07/2016**
**स्थान - पुणे**

Insp/BELCP A/cs(2015-16)/2016-17/ 82
सं./No.

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बैंगलूर – 560 001
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BANGALORE - 560 001.

22 July 2016
दिनांक / DATE

To

Shri Sunil Kumar Sharma
Chairman,
M/s.BEL Optronic Devices Limited,
Pl. 30, J Block, Bhosari Industrial Area,
Pune – 411 026

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of M/s.BEL Optronic Devices Limited, Pune for the year ended 31 March 2016.

I forward herewith **Nil Comment Certificate** of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the financial statements of **M/s.BEL Optronic Devices Limited, Pune** for the year ended 31 March 2016.

It may please be ensured that the comments are:

(i) Printed in toto without any editing;

(ii) Placed before the AGM as required under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013; and

(iii) Placed next to the Statutory Auditors' Report in the Annual Report of the Company with proper indication in the index.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(E. P. Nivedita)
Pr. Director of Commercial Audit

Encl: As above.

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
पहला तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बैंगलूर – 560 001
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basaveswara Road, Bangalore - 560 001

दू.भा / Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in

फैक्स / Fax : 080-2226 2491

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF M/S. BEL OPTRONIC DEVICES LIMITED, PUNE FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016.**

The preparation of financial statements of M/s.BEL Optronic Devices Limited, Pune for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 19 **May 2016 and revised report dated 14 July 2016.**

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of M/s.BEL Optronic Devices Limited, Pune for the year ended 31 March 2016. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. **In view of the revisions made in para 7a of Annexure A and inclusion of Annexure C containing the directions issued by the Comptroller & Auditor General of India and compliance thereto under section 143(5) of the Companies Act, 2013 to the Independent Auditor's Report as a result of my audit observations highlighted during supplementary audit,** I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6) (b) of the Act.

**For and on the behalf of the**
**Comptroller & Auditor General of India**

**(E.P. Nivedita)**
**Pr. Director of Commercial Audit**

Place: Bengaluru

Date: 22 July 2016



तिवेदन
-16